

कृपया यह भस्म आप अपनी पाटी में रखिए कि वह आपका नाम चेयर पर दे। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलें, या आगे वाले बोलें या पीछे वाले बोलें या इधर से बोलें या उधर से बोलें। जो यहां बैठे हैं लीडर, उनमें भी मैं कहूंगी कि आप जूनियर मेम्बर्स के नाम भी दिया कीजिए। आप चेयर पर क्यों आक्षेप लगाते हैं।

**श्री संकर दयाल सिंह :** नाम तो आपके सामने है।

**उपसभापति :** नहीं, मेरे सामने नहीं है। चेयर पर आक्षेप लगाना गलत है। आप अपने लीडरों से मेटर तय कीजिए। मंती जी।

CONSTITUTION (SIXTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 1990—Contd.

**श्री राम विलास पासवान :** उपसभापति महोदया, तमाम माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक को चर्चा में भाग लिया उनको, उन माननीय सदस्यों को भी, जिन्होंने यहां बैठकर सुनने का काम किया है और ऐसे माननीय सदस्यों को भी, जो कि बोलना चाहते थे या चर्चा में भाग लेना चाहते थे, किन्तु समयभाव के कारण उनको समय नहीं मिल पाया, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि यह विधेयक बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई बहुत सारे क्लॉज नहीं हैं, सिर्फ इतना ही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जितने साधियों ने इसमें भाग लिया, सभी साधियों ने एक बात जरूर कही कि इसका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए और कुछ साधियों ने यह जरूर कहा कि शायद यह विधेयक पुराना नहीं है, इसके जितने तीखे दांत होने चाहिए, उतने तीखे दांत नहीं हैं और जो पुराना शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब्स कमीशनर है, जो आर्टिकल 338 के तहत है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। जब मेरे सभी माननीय साथी बोल रहे थे तो मैं बहुत गौर

से सुन रहा था और मैं यह चाह रहा था कि इसमें जो खामी है, उसे माननीय सदस्य बताने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस संशोधन या सुझाव को हम रखने का काम करेंगे। लेकिन कुछ साधियों ने सुझाव दिए हैं और बहुत साधियों का भाषण हुआ है। अच्छा है। समस्याएं हैं तो समस्याओं के संबंध में वक्तव्य भी जरूरी है लेकिन जो यह कानूनी पहलू है क्योंकि हम एक बौड़ी बनाने जा रहे हैं और अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से हम अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं। हमने नहीं कहा है कि हम इसको कमीशन आफ इक्वायरी का पावर देंगे, लेकिन हमने हर संभव कोशिश की है कि कानून के तहत इसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। हमारे बहुत से साधियों ने कहा है कि जो मुख्य बात है वह यह है कि आपने कमीशन बना दिया लेकिन कमीशन बनाने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि इस कमीशन की रिपोर्ट मैजिस्ट्री होगी और उसको माना जाएगा। तो मैं माननीय सदस्यों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कमीशन कमीशन होता है, कमीशन कोई मंत्रालय नहीं है। अब कमीशन को जितनी दूर तक हमको अधिकार देना चाहिए था, उसको हमने देने का काम किया है और इसके कर्तव्य को यदि आप देखेंगे तो (5) में है कि आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अर्धिन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से संबंधित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना।”

फिर जो हमने जोड़ा है संशोधन करके उसमें हमने कहा है कि :—

[श्री राम विलास पासवान]

“(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास (सोशियो इकॉनॉमिक डेवलपमेंट) की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना।”

यह एक ऐसा अस्त है, उपसभापति महोदया, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत व्यापक है। फिर हमने कहा है कि :—

“(ग) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना।

(घ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।”

उपसभापति महोदया, अब आप देखेंगे कि जो हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें कोई प्रोग्राम, कोई ताकत नहीं दी गई है, मैं नहीं समझता हूँ कि कानून के तहत इससे ज्यादा कोई ताकत दी जा सकती है। इसलिए जब माननीय सदस्य कह रहे थे तो मैं बार-बार उनसे पूछता था कि आप बतलाएं कि आप इस में क्या चाहते हैं? आप मुझसे पूछिए कि इसमें क्या जुड़वाना चाहते हैं? हनुमन्तप्पा साहू ने कहा कि साहू नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसकी धारा 6 आप पढ़िए। धारा 6 में कहा है कि :—

“राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या

प्रस्थापित कार्यवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।”

एक कमीशन था। कमीशन को पहले कोई पावर नहीं थी। गैडमैल्ड कास्ट, गैडमैल्ड ट्राइब्स कमिशनर को कोई पावर नहीं थी। किसी अफसर को बुलाता था, वह अफसर आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं जहां कमीशन गया और अफसर नहीं आया। कमीशन के पास कोई ताकत नहीं थी कि उसको बुला सके। आज जो हम कमीशन को पावर दे रहे हैं उसके माध्यम से सम्मन करने का अधिकार उसको है। ... (अवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : यहां इस सदन में तो स-मन करने पर आ नहीं रहे हैं, वहां क्या आएंगे। ... (अवधान)

श्री राम विलास पासवान : तो उसको सम्मन करने का अधिकार है। सम्मन करने के बाद न सिर्फ उसको अन्वेषण करने का अधिकार है बल्कि उसको एक्जामिन करने का भी अधिकार है और इन सारी चीजों के बाद वह राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट देगा, आपने कहा कि वह मेडेटरी है कि नहीं, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि यदि कहीं से शिकायत आए तो उसको यह पावर दी गई है कि वह सिविल कोर्ट के माध्यम से जाकर इन्क्वायरी करे।

श्री राम अवधेश सिंह : मंत्री जी, ऐसे हल्के ढंग से बात मत कहिए। यह गंभीर बात है। जब स-मन करने पर हाऊस में नहीं आए तो क्या आप अधिकार दे रहे हैं... (अवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं समझता हूँ कि राम अवधेश जी लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हैं। यह जो आप कह रहे हैं यह सारी की सारी बात स्लैस की बात है। मैं यह कह रहा हूँ कि हम जो संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं उसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि जो भी कानून बनाना आवश्यक हो, वह बनाया जा सकता है। वह सारी की

सारी बात इसमें आएगी। इसलिए मैंने उस ऑप्शन को भी नहीं छोड़ा है। हनुमंतप्पा साहब ने उन लोगों की नियुक्तियों, रिजर्वेशन आदि से लेकर सोशियो-इकनॉमिक डेवलपमेंट आदि तमाम चीजों पर विस्तार से कहा है और मैं चाहता हूँ कि इन सबको पूरा करने के लिए हम सदन का ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पास करें क्योंकि इस विधेयक पर आम सहमति है और फिर दूसरा विधेयक भी हमारे सामने है जो उतना ही महत्वपूर्ण है जिसमें भूमि संबंधी कानून को नाबं जंडल में जोड़ने का प्रावधान है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ... (व्यवधान)

**डा० रत्नाकर पाण्डेय :** हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री राम विलास पासवान :** पाण्डेय जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो यह सारे जो आपने सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ कि उन सारे सुझावों की उसमें पिरोने का काम हम करेंगे। क्लस ब्रैकेट, बहुत सारी चीजें इसमें आ गई हैं और कुछ जो बचो हैं उनका भी हम उसमें समावेश करेंगे। जैसा कि अभी पाण्डेय जी और बहुत से दूसरे साधियों ने कहा कि इसमें कोई ऐसा छेद नहीं रहना चाहिए जिससे घड़े में पानी भर जाए। मैं तो कहता हूँ कि अभी तक छेद ही छेद था। मैंने उस छेद को बंद करने की कोशिश की है और उसके बावजूद भी यदि कहीं कोई छेद बचेगा तो उस छेद को भी हम बंद करने का काम करेंगे।

अब जहाँ तक चेयरमैन का सवाल है, उसके संबंध में हमने कहा है कि चेयरमैन का स्तर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा। बहुत से साधियों ने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया है। तो यह जो संविधान संशोधन बिल है यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस पद पर जो भी होगा उसे व्यापक अधिकार देने के लिए लाया गया है। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। बाद इसके उपाध्यक्ष को हमने

स्टेट मिनिस्टर का रैंक दिया है और हमने यह भी कहा है कि एक बार अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा और एक बार अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष होगा। जब अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होगा तो अनुसूचित जनजाति का उपाध्यक्ष होगा और अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष होगा तो अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष होगा।

उपसभापति महोदया, हमारे साधियों ने और भी बहुत से सुझाव दिए हैं और पाण्डेय जी ने हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में ध्यान आकषिप्त किया है। हमारे बहुत से साधियों ने कहा कि यह सरकार खाली भाषण देती है, भाषण के अलावा कोई काम नहीं करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको इस बात का गर्व है कि हमने अपने चुनाव घोषणापत्र के मुताबिक कानून बनाने, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। मैं यह मानता हूँ कि सिर्फ कानून बना देने से किसी समस्या का निदान नहीं होता है और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जब तक हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया, तब तक हम जो कानून बनाते हैं उनको लागू करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। पाण्डेय जी ने और भी बहुत सी अच्छी बातें कही। सच्ची बात यह है कि हमारी वर्ण व्यवस्था के तहत जो सफाई काम करता है उसको सबसे छोटा समझा जाता है और जो छोटा काम करता है उसकी बड़ा आदमी समझा जाता है। जब तक हम डिगनिटी आफ लेबर नहीं देंगे तब तक सिर्फ कानून बना देने से ही समस्या का हल नहीं होगा लेकिन... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** भाषण में इस अधिनियम में कहीं समावेश नहीं है... (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान :** लेकिन उपसभापति महोदया, जोगी जी अभी खड़े हुये थे, जोगी जी कह रहे थे, मैं जोगी जी को गिनाना चाहता हूँ। मुझको

[श्री राम बिलास पासवान]

अधि दिये सिर्फ 6 महीने दिये हैं और 6 महीने में जितना काम हमने किया है और इसी सदन के माध्यम से करवाया है। गिनाना चाहते हैं मैं गिना देता हूँ। अनुचित जाति और जनजाति सब लोगों की सहमति से, लेकिन सरकार में बिल लाया, अनुचित जाति, जनजाति के अरक्षण को अधि को 10 साल बढ़ाया गया... (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : मैं भी बात कर रहा हूँ... (व्यवधान)

उपसभापति : बोलने दीजिये प्रजा।

श्री राम बिलास पासवान : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य को सरकार को कठिनाई करने का सब अधिकार है सरकार की तरफ से जो काम हमने किये हैं हमको रखने का अधिकार है कि या नहीं? तो मैं ने... (व्यवधान) हमने कहा सब लोगों के सहयोग से, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैंने कर दिया। आज भी सब लोगों के सहयोग से हम करने जा रहे हैं। दूसरा, अनुचित जाति, जनजाति निवारण कानून जो पार्लियामेंट से पास हो गया था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ था यह कह कर के नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा था कि राज्य सरकारें सहमत नहीं हैं, हम नोटिफिकेशन नहीं लागू कर सकते हैं, नहीं जारी कर सकते हैं। हम आये, आने के बाद हमने लॉ मिनिसूरी से भी राय ली। लॉ मिनिसूरी ने कहा कि सिर्फ राज्य की सरकारों से आपको परामर्श करना चाहिये लेकिन राज्य की सरकार नहीं भी स्वीकृति देती हैं तो आप स्पेशल कोर्ट के लिये निदेश जारी कर सकते हैं और आप नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। 30 जनवरी को हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज देश के 80 पसट जिलों में वहाँ स्पेशल कोर्ट का आईडेंटिफिकेशन हो गया है, जजों की नियुक्ति की जा रही है और हमने कहा है कि जून के अखिर तक ऐसा कोई जिला नहीं रहना चाहिये जिस जिले में स्पेशल कोर्ट बन न जाये और यह कोई एक पार्टी का नहीं सभी

पार्टी की सरकारें हैं अलग-अलग राज्यों में, सब जगह बनाई जा रही हैं।

तीसरी चीज, जोगी जी, 43 साल गुजर गये। 43 साल में आपको कभी याद नहीं आया कि बाबा अम्बेडकर भी कोई आदमी हैं, उनको भी भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया जाये। उसमें आपका क्या पैसा लग रहा था.... (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया है यह आप सुनना चाहें तो घंटों बोलते रहेंगे आप सुन नहीं पायेंगे... (व्यवधान) केवल परिधि को छूकर यह न सोचिये कि आपने समस्या का निराकरण कर लिया है... (व्यवधान)

उपसभापति : लैट हिम स्पाक।

श्री राम बिलास पासवान : कांग्रेस ने कहाँ यूनिवर्सिटी का सपना दिया वह आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। न जमीन का पता है, न पैसे का पता है... (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : मंत्री जी, अगर इस वाद-विवाद में पड़ेंगे तो बहुत समय लग जायेगा... (व्यवधान)

श्री राम बिलास पासवान : देखिये, मैं सरकार की तरफ से जो 6 काम दिये हैं मैं गिना रहा हूँ... (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा था... (व्यवधान) जब सोचिये न यह एक घंटा तक क्या 6 घंटा तक बोले हैं तो 6 मिनट में जवाब तो सुन लें... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. Don't interrupt.

SHRI AJIT P. K. JOGI: He mentioned my name. That is why I wanted to clarify.

उपसभापति : चलिये बोलिये... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: तो मैं यह कह रहा था कि भारत रत्न की उपाधि से डा० अम्बेडकर को भी विभूषित किया गया, 14 अप्रैल को किया गया। कल दायें कि नहीं किया गया। आप भा... (व्यवधान) बार-बार क्यों इंटरस्ट कर रहे हैं, इसका क्या अजिबकलनेबल है?

SHRI JAGESH DESAI: When you talk of Dr. Ambedkar, I saw yesterday's Parliament News and there the statue of Dr. Ambedkar was not shown...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. You could have spoken earlier.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महादया, पता नहीं खर्च करने की बात हाता है उस बात को छोड़ दिया जाता है। वहाँ एक पता खर्च नहीं होता है, सम्मान देने का बात हाता है डा० अम्बेडकर को, आज तक वह सम्मान भी नहीं दिया गया। इसी सेन्ट्रल हाल में डा० अम्बेडकर की तस्वीर को... (व्यवधान)... लगाया गया और उतारा गया। मैंने कहा था कि ये चार काम किये हैं। पाँचवाँ काम नवबंदाओं को धारक्षण की सुविधा मिले, आपके सहयोग से। आप पहले भी कर सकते थे, नहीं किया। मैंने कहा आप के सहयोग से किया। सर्वसम्मति से लोक सभा में भी पास हुआ और सर्वसम्मति से यहाँ भी उनकी आरक्षण की सुविधा मिली। यह पाँचवाँ काम हुआ। छठा काम यह आपके सहयोग से करने जा रहे हैं। यह आपको सहयोग करना है यह हमको मालूम है। जो दूसरे सदन में हुआ...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: संसद के परिसर में डा० अम्बेडकर की प्रतिमा किसने स्थापित की थी? (व्यवधान) इतना

लचर तक मत दोजिए जो स्टेड न कर सकें इस महान सदन में। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: दूसरे सदन में पहले दिन जब यह...

श्री रत्नाकर पाण्डेय: अम्बेडकर का नाम मत लाजिए। उनका महान सहयोग.... (व्यवधान)

उपसभापति: बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं फिर निवेदन करती हूँ कि हाऊस चलने दीजिए। अब आप लोगों का समय था आपना जा बोलना था बोली और वह अवसर मर्जी से जवाब दे रहे हैं देने दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: मैं वहाँ कह रहा हूँ जा हमने किया है। इसमें मर्जी का बात नहीं है। हमने नवबंदाओं को आरक्षण की सुविधा दी यह हमने पाँचवाँ काम किया। छठा काम जो करने जा रहे हैं वह आपके सामने संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बात है। सातवाँ काम कुल 6 मामलों के बारे में है। उसको इन विधान का 9वाँ सुवा में लाने जा रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० चक्रेश यो० ठाकुर: इसकी चर्चा यह कैसे कर रहे हैं जब यह अभी तक आया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: 6 महीने में इन सात कामों को हमने किया है और उसके बाद... (व्यवधान) यह अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा की बात है। 1978 में जब मैं लोक सभा का मيم्बर था, जीत कर आया था, मुझे याद है तब संवैधानिक अधिकार देने की बात आयी थी लेकिन उसके बाद वह सरकार खत्म हो गयी। तब से लेकर अब तक 12 साल के दौरान आपने पूरे हथियार से लैस होकर संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग बनाने

[श्री राम विलास पासवान]

का काम आपने क्यों नहीं किया? किसने आपको रोका था? आज कह रहे कि तोप नहीं है, तरकश नहीं है, आपको किसने रोका था? 12 साल तक आपने लाने का काम नहीं किया। (व्यवधान) हमने लाने का काम किया। आज भी हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है इस मामले में। अपने सभी साक्षियों से हमने कहा था, अनुसूचित जाति, जन जाति के अपने सभी पार्टियों के संसद सदस्यों से कहा था जो भी आपको सुजेशन देने हों, दे दीजिए। इसके माध्यम से हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं होगा तो हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मशताब्दी मना रहे हैं, सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में यह वर्ष मना रहे हैं। इसमें हमने यह नियम लिया है कि एक साल के अंदर, जैसा हनुमन्तप्पा जी ने कहा, जोगी जी ने कहा कि क्लास-वन की श्रेणी में 6 परसेंट तक रिजर्वेशन हो पायी है; हम सारे के सारे आरक्षण भर पायेंगे। हम मानते हैं इस बात को इन तीन महीनों में नहीं भरा गया ...

श्री अशोक जोगी : आप भर दें।

श्री राम विलास पासवान : हम भरेंगे। हमने कहा है कि एक साल के अंदर भरेंगे। भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में यह जो डा० अम्बेडकर के सम्बन्ध में कमेटी की स्थापना की गयी है जिसमें सभी पार्टियों के माननीय सदस्य रखे गये हैं, उसने यह तय किया है कि एक साल के अंदर योजनाबद्ध तरीके से 14 अप्रैल, 1991 तक किसी भी श्रेणी में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। जिस पोस्ट के लिए भी बैकलॉग है वे सारी की सारी पोस्टें भरी जायेंगी। सारी की सारी पोस्ट्स भरेंगे और उसके लिए आवश्यकता पड़ी तो अगले पार्लियामेंट के सेशन, में रिजर्वेशन के लिए लेजिस्लेशन भी लाने जा रहे हैं। यदि कोई अधिकारी उनकी पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए दण्ड का विधान रखा जाएगा। हम यह करना चाहते हैं। हमारी नीति साफ है इस मामले में हम किसी से समझौता करने नहीं जा रहे हैं ... (व्यवधान)

हम जानते हैं आप डा. अम्बेडकर के नजदीक रहे हैं। डा० अम्बेडकर को कांग्रेस ने चेयरमैन भी बनाया। लेकिन डा० अम्बेडकर जी ने कांग्रेस छोड़ने वक्त क्या कहा था उसको भी पढ़ लीजिये। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वह जलती हुई भट्ठी है जिसमें जो जाएगा वह जलकर अस्थ हो जाएगा। इसलिए डा० अम्बेडकर को कोट मत करिये। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उस विवाद में मत जाइये। मैं नहीं कह रहा हूँ, डा. अम्बेडकर जी को कोट कर रहा हूँ ... (व्यवधान)।

कुमारी सरोज खापड़ (महाराष्ट्र) : यह कांग्रेस को बदनाम करने का तरीका नहीं है। आप डा. अम्बेडकर जी के आदर्शों को जरूर बताइये।

श्री राम विलास पासवान : उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, इसलिए कह रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने फैसला लिया है कि जहाँ कहीं भी अत्याचार का मामला होगा, जहाँ कहीं भी सामाजिक, आर्थिक अन्याय का मामला होगा तो हम अवश्य दूर करेंगे। आदिवासियों का मामला हो तो हमने कहा है कि जंगलात का मामला होगा तो जो भी कानून बनेगा उसमें अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोग भी उसमें सहभागी होंगे ... (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापड़ : आप बार-बार अपने शासन का उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर देश में डा. अम्बेडकर नहीं होते और कांग्रेस नहीं होती तो आप और हमारा उद्धार नहीं होता, हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। आप भूलिये मत। आप अपने शासन की तारीफ कर रहे हैं। आप 40-42 वर्ष के कांग्रेस के काम को आँखों से अँगल नहीं कर सकते हैं। खबरदार, बाबा साहेब का नाम लेते हुए इन बातों को मत भूलिये ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं इस बात को मानता हूँ कि बाबा साहेब

अम्बेडकर नहीं हुए होते तो दलितों को ये अधिकार नहीं मिलते ... (व्यवधान)

कुमारी सरोज खाण्डे : आप श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के काम को कैसे भूल सकते हैं ?

श्री राम बिलास पासवान : डा० अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है .... (व्यवधान)।

कुमारी सरोज खाण्डे : मैं नागपुर की उस घरेली से आती हूँ जहाँ पर बाबा साहब ने धर्मान्तरण किया था। मैं उनको जानती हूँ ... (व्यवधान)।

श्री राम बिलास पासवान : मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सवाल पर कभी भी वाक आउट नहीं करते, यह कांग्रेस की पुरानी कल्चर रही है। मैं डिटेल् में न जाते हुए अपने तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं तमाम साथियों को ... (व्यवधान)...

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra):  
Madam, I object to what he said just now about the walk-out. (Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN: 'Jawaharlal Nehru' is not unparliamentary.

डा० रनाक पाण्डे : अगर हम समर्थन नहीं करते तो आप पास नहीं कर सकते थे। अगर हम समर्थन न दें तो आपका बिल गिर जायेगा ... (व्यवधान)... आप नहीं चाहते हैं बिल पास कराना? ... (व्यवधान)...

श्री राम बिलास पासवान : मैंने जब मूव किया था, सोलंकी साहब हमारे मित्र रहे हैं, उनको भालूम है कि मैंने जब बिल मूव किया तो ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. (Interruptions) I said 'I am not allowing'. Let the Minister complete his speech.

आप अपना भाषण खत्म कीजिये।

श्री राम बिलास पासवान : मैं राउंड अप कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ ... (व्यवधान)...

मैं खत्म करने जा रहा हूँ। तो महोदया, शुरू में मैंने सिर्फ तीन मिनट का समय लिया था। मैं अभी भी ज्यादा समय न लेने हुए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि ... (व्यवधान)...

डा० सुरेश अहमद खान (राजस्थान)  
... ये इस मुद्दे पर जनता के सामने गये थे कि बोफोर्स का जो मसला है उसकी जांच करायेंगे और तब जनता के सामने लायेंगे। इस मसले पर यह सरकार जीती है। इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक इस गवर्नमेंट ने सारे डाकुमेंट्स सभापटल पर नहीं रखे हैं। इस बात को लेकर वाइकाट भी किया गया है .... (व्यवधान)...

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): I would like to point out to the hon. Minister that the walk-out was not on this. It was on Bofors.

उपसभापति : मंत्री जो आप खत्म करिये, मुझे बोटिंग करानी है।

श्री राम बिलास पासवान : मैं आधे मिनट के समय में खत्म कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ ... (व्यवधान) आप बैठिये, आप ऐसा क्यों कर रहे है ?

मैं सभी पक्षों के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने शुरू से ही इसका समर्थन किया है। इसके लिये सभी पक्ष के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कहने से अगर किसी को चोट लगी हो तो मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने सब साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आपने

[श्री रामविलास पासवान]

बहुत अच्छे ढंग से समर्थन किया और इस में भाग लिया। धन्यवाद।

श्री शंकर ब्याल सिंह : केवल एक बात यहाँ छूट गई। पूरे प्रकरण में कहीं भी महात्मा गांधी का नाम नहीं आया जब कि अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिये गांधी जी की प्रेरणा राष्ट्र के लिये सर्वोपरि मानी गई है। इसलिये जब भी मंत्री या भाषण दें तो उन्हें यह कहना चाहिये कि गांधी जी की प्रेरणा से अब इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।.... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : मुझे मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इसका वायदा किया था कि मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने अपन भाषण में उसका कोई रेफरेंस नहीं दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। यह एक संवधानिक सवाल है, जिसे मैं पूछना चाहता हूँ।

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो कमीशन है तो यह लागू होगा स्टेट में और यूनियन सविसेन में भी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल 338 के सब-क्लॉज 3 के तहत जो अवर्स बैकवर्ड क्लासेज का रेफरेंस आर्टोमेटिकली कांस्टिट्यूशन में है, जो मैंने पढ़कर धुनाया था, उसके तहत मान लाजिये....

उपसभापति : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, आर्टिकल 338 की पिछड़े वर्गों के लिए है कि पिछड़े वर्गों को भी, यदि उनकी तरफ से कमीशन बने तो उसमें जोड़ना चाहिए। लेकिन जब सेंटर में अभी तक पिछड़े वर्ग की लिस्ट ही नहीं है तो आगे कहाँ से, जब लिस्ट बन आएगी तो जुड़ जाएगी... (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : स्टेट्स में सूची है, सारे राज्यों में सूची बना हुई है.... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN; I will first put the Amendment of Shri Ahluwalia...

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat); The Minister gave wrong interpretation. Sub-clause 3 provides for other 'backward classes to be treated on Scheduled Castes/Scheduled Tribes basis and other backward classes are already recognised under the Constitution in various States. This Commission is not to operate only for Central purposes. It is for the States also. Will the Minister please state whether the States' other back-war<sub>a</sub> classes, their welfare, etc, will also be looked into by this Commission or not?

श्री राम विलास पासवान : अभी नहीं। अभी इसमें नहीं है। मंडल कमीशन की जहाँ तक सिफारिश का मामला है सरकार और रिपोर्ट है कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : देश के सारे राज्यों में जो वेल्फेयर के बारे में प्राविजन है उसके बारे में आपका क्या कहना है। उसको क्यों नहीं आप लिस्ट में शामिल करते हैं?

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदया, आपका मालूम है कि 388 के तहत जो स्पेशल कमीशनर की पोस्ट है, स्पेशल आफिसर की पोस्ट है उसके बदले में कमीशन जोड़ा जा रहा है और उसके अंतर्गत एस.सी., एस. टी. के जो मामले थे उनको इनको सीपा जा रहा है। अब माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं पढ़ते हैं... (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीया, मंत्री जी ने अभी यह उत्तर दिया कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन अभी दिल्ली में उपप्रधान मंत्री जी ने कहा कि जब तब जाट जाति बैकवर्ड क्लास की सूची में नहीं जोड़ी जाएगी तब तक हम उस पर अपनी



सहमति नहीं देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, माननीय वेलफेयर मिनिस्टर भी... (व्यवधान) कहते हैं कि लागू करेंगे लेकिन इस देश का ड्रिस्टी प्राइम मिनिस्टर जब यह कहता हो कि जब तक जाट कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास की सुब्जे में नहीं रखी जाएगी तब तक हम समर्थन नहीं देंगे तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है? उपप्रधान मंत्री जी कुछ बात कहते हैं, प्रधान मंत्री जी कुछ बात कहते हैं, कल्याण मंत्री जी कुछ बात कहते हैं। इसमें क्या दृष्टिकोण है? ऐसा लगता है कि सरकार की दृष्टि इस मामले में साफ नहीं है इसलिए इस तरह का विरोधाभास आता है... (व्यवधान)

**श्री राम बिलास पासवान :** उपसभापति महोदया, न तो प्रधान मंत्री जी अलग बोलते हैं... (व्यवधान)

**श्री राम अवधेश सिंह :** मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने बीत गये क्या कारण है कि मंडल आयोग नहीं लागू हो रहा है, कौन सा कठिनाई है, सदन को बताएं.... (व्यवधान)

**श्री राम बिलास पासवान :** महोदया, जो राम नमेश यादव जी ने कहा है मैं उस संबंध में कहना चाहूंगा कि न तो प्रधान मंत्री अलग कह रहे हैं, न तो उप प्रधान मंत्री अलग बोल रहे हैं और न कल्याण मंत्री अलग बोल रहे हैं। परसों प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और कल्याण मंत्री सबने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होंगी और उप प्रधान मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं।

**श्री राम नरेश यादव :** इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि उप प्रधान मंत्री जी के जो विचार हैं वे विचार क्या सरकार के.... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I will first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the

Constitution (Sixty-Eighth Amendment) Bill, 1990, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The questions is:

•That the Bill further to amend the Constitution of India, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members:-

1. Shri Ram Awadhesh Singh
2. Shri Subramanian Swamy
3. Shri Anant Ram, Jaiswal
4. Maulana Obaidullah Khan Azmi
5. Chowdhary Ram Sewak
6. Shri Sikander Bakht
7. Shri G. Swaminathan
8. Shri V. Gopalsamy
9. Shri Chaturanan Mishra
10. Shri Dipen Ghosh
11. Shri Shankar Dayal Singh
12. Shri Ram Jethmalani
13. Sardar Jagjit Singh Aurora
14. Shri rishan Kumar Deepak
15. Shri S. S. Ahluwalia

with instructions to report by the first day of the next Session of the Rajya Sabha."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Those in favour may please say 'aye'. Those against may please say 'no'. (Interruptions).

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, ayes have it. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will put the motion once again. (Interruptions)

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, Madam, ayes have it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There Will be a division.

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, Madam.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, Ayes have it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The amendment is negated. If you want division, you can have it.

SHRI S. S. AHLUWALIA: But, they said "Ayes". So Ayes have it.

**उपसभापति :** राम अवधेश जी, आप और वन्द्युत मत करिए, बैठ जाइये।....  
(व्यवधान)

**श्री राम अवधेश सिंह :** राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दो बार .... (व्यवधान)  
लेकिन अभी तक मंडल आयोग का स्थापना नहीं हुआ है।.... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendment of Shri .....  
Please sit down.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): But, this is a Constitution Amendment Bill-----

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why is he disturbing? I would request you to please sit down. Otherwise I will have to ask you to leave the House.

**श्री राम अवधेश सिंह :** आप मंत्रीजी से जवाब दिलवा दीजिए।

**उपसभापति :** अगर मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उनसे जवाब दिलवा सकूँ। आप बैठ जाइये।

SHRI KHYOMO LOTHIA (Nagaland); Madam,-----

**श्री राम अवधेश सिंह :** यह बात तो स्पष्ट है.... (व्यवधान) लागू नहीं होगा। सरकार घोखे में क्यों रखती है ?

**उपसभापति :** राम अवधेश जी, जो मंत्री जी ने कह दिया, उसके अलावा मेरे पास उनसे कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे कियवाही को आगे चलाने दीजिए।

SHRI KHYOMO LOTHIA: Madam, I want to raise a point. I had sought. ...  
(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ram Awadhesh Singh, if you don't listen, I am going to ask you to please leave the House.

**श्री राम अवधेश सिंह :** यह सरकार निकम्मी है। यह झूठे वादे करती है। यह जवाब नहीं देती है मैं वाक आऊँ करता हूँ।

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

SHRI KHYOMO LOTHIA: Madam, I hardly speak. And when I speak, I give only short speeches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak on the Third Reading. You cannot speak now. There is a certain procedure. I cannot permit him at the wrong place. I will allow you at the Third Reading stage. Please sit down. I cannot permit you at the wrong place. Please sit down... I cannot permit you. It is against the rules. I will allow you at the Third Reading Stage.

SHRI KHYOMO LOTHIA: In that case, I am walking out.

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He has a certain complaint. This is not in connection with this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He said that he wanted to make a speech. He did not say that he wanted to raise a point of order. You call him back. Let him make his point of order. As everybody heard, he said that he wanted to make a short speech. And I said, I will allow him at the Third Reading stage. If he wants to raise a point of order, let him raise it. You call him back.

SHRI KHYOMO LOTHIA: My only point of order is \_\_\_\_\_

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, let me hear him. I have the right to hear.

SHRI KHYOMO LOTH; My only submission is this, When I sought time to speak on this Sixty-eighth Amendment Bill, as a tribal I wanted to give a few points of suggestion. But I was told that there was no time and my name was not given. Now I find that it is 6 o'clock and so many irrelevant things have been spoken. Even the Minister himself raised so many irrelevant things. What is this? This is very unfortunate. I have been watching the proceedings in the Lok Sabha since yesterday... *(Interruptions)*.

6.00 p.m.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the Member wants to speak on it, there is still time. ... *(Interruptions)* ... Just a minute. Listen to me. If your party did not give you time, still, at the third reading I will permit you to speak.

SHRI KHYOMO LOTH; It was from the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, it is not from the Chair. It is the party. I will ask the Whip to get up the explain to him. Perhaps, he doesn't know. But I will permit you to speak at the third reading. Please sit down.

SHRI KHYOMO LOTH; Irrelevant things have been raised, provoking the Members unnecessarily, but I could not be given even three minutes to speak... *(Interruptions)* ■ ■.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Honourable Members, please. He is from a backward class. I can understand a Member wanting... *(Interruptions)* Which class is he?... *(Interruptions)* Tribal? I don't know what class he is... *(Interruptions)* ..

SHRI G. G. SWELL; I know... *(Interruptions)* ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ... *(Interruptions)* ... I know Members by the name... *(Interruptions)* ... Sit down. Don't get angry, please. Sit down. ... *(Interruptions)* ...

SHRI G. G. SWELL; I don't come from a backward class.

THE DEPUTY ■ CHAIRMAN: You are not. You are most forward than everybody else. All right.

SHRI G. G. SWELL; I am not a backward class Member. I am the most forward Member.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Every Member of the House is very forward. If any body wants to speak \_\_\_\_\_

SHRI G. G. SWELL; I challenge anybody. Don't use this word.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What are you challenging?

SHRI G. G. SWELL; Don't use this word. I am more forward than you are, I know much more than you do. ... *(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN-. Cool down. ... *(Interruptions)* ... It was not your matter.' The Member wanted to speak. If his party did- not give him time... *(Interruptions)* ... Please, keep quiet. To me everybody is forward. To me there is no SC, ST, to me it doesn't matter. To me all Members are respectable, and if any Member wanted' to speak and if his party did not give him time. I will give him time to speak at the third reading—I promise. ... *(Interruptions)*.. Please sit down.

SHRI G. G. SWELL; But don't use the word "backward."

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Ahluwalia, do you want to withdraw or do you want to make your speech.

SHRI S. S. AHLUWALIA; I want to srjeak, Madam.

**उत्तरवापि : एकादश मंत्रों में बोलिए ।**

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :**  
महोदयों, मैं समय की कमी के कारण  
बोला नहीं क्योंकि मंत्रों की कमी ज्यादा  
थी।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

महोदया, यह 68वां संविधान संशोधन लाने के पहले सारे हिन्दुस्तान में ऐसी माहौल बनाया गया कि जैसे यह 68वां संशोधन विधेयक लाकर शायद ये इमरूत जो गेडयूल्ड कास्ट और गेडयूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को महुलों में बिठाने में रहे हैं। जिस तरह से राजा विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने अपने घड़ियाली आंसू बहाए और जैसे कहा कि यह कांग्रेस पार्टी इस विधेयक को पास नहीं करने देना चाहती और अडे-मूडे अइसे लगा रही है। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में हर सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी व्यवस्था आपने इस विधेयक के माध्यम से गेडयूल्ड कास्ट, गेडयूल्ड ट्राइब को दी है? आपने विधेयक पढ़ा है क्या अधिक व्यवस्था आप दे रहे हैं? क्या गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को आप ओगड़ियों से उठाकर, खपरेल के मकान के उठाकर एअर कंडीशंड कमरों में बिठाने जा रहे हैं? शायद नहीं। महोदया, राम विलास पासवान जी अनुसूचित जाति से आते हैं... (व्यवधान) आप जब बोल रहे थे तो मैंने बाधा नहीं पहुंचाई, आपा सुनने की कोशिश करे और हिम्मत रखें। रामविलास पासवान जी जोकि मंत्री हैं, उनकी भावना है कि वे जगह-जगह आपग देकर वायदे कर आते हैं। कई जगह इन्होंने मेरे साथ खड़े होकर वायदे किए हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करने। कुछ दिन पहले ये विकलांगों और ग्रंथों को मोटिंग में कह रहे थे कि इसी सत्र के अंदर उनके रिजर्वेशन के लिए एक विधेयक लाएंगे और उसे पास कराएंगे। ये मंत्री महोदय से पूछें कि वह विधेयक कहां है? वह कहां ला रहे हैं आप? इन अंधों, लूनों, लंगड़ों के साथ आपने ऐसा सजाक क्यों किया?

महोदया, यह विधेयक लाने से पहले  
... (व्यवधान)

उपसभापति : आपका जो अमेन्डमेंट है, वह सेलेक्ट कमेटी के बारे में है।

कृपया सेलेक्ट कमेटी में आप क्यों भेजना चाहते हैं, उस पर बात कीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
मैडम, सेलेक्ट कमेटी का तो आपने वायस बोर्ड में आयोजन करा लिया है। मेरा पूरा अमेन्डमेंट है।

THE DEPUTY CHAIRMAN; We will discuss it later.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
आप सेलेक्ट कमेटी का तो ऑलरेडी पास करा चुका है।

उपसभापति : चलिए, वह पास हो गया है तो आप बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
मैं तो फस्ट एमेन्डमेंट पर बोल रहा हूँ, कांस्टिट्यूशन अमेन्डमेंट पर।

THE DEPUTY CHAIRMAN; No. no. I will first put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia for reference of the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990 to the Select Committee of Rajya Sabha to vote.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
वह तो आपने पास कर दिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN; There was a confusion in the House. That is why I am going through it, please. There was a confusion created. That is why people did not hear it. This is Constitution Amendment, We have to record clause by clause. That is why we are doing it for the benefit of all the Members.

आप अगर इस पर बोल रहे हैं तो बोलिए और अगर विद्वान कर रहे हैं तो विद्वान कीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
मैडम, आप ऐसा कह रही हैं तो यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने की जो बात मैंने कही है, उसके बाद मेरा एक पूरा अमेन्डमेंट है।

उपसभापति : उस पर अभी रहने देंगे !

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
आप उस पर बोलने की अनुमति देंगे ।

उपसभापति : हाँ, देंगी । मगर क्या  
आप इसे विद्वड़ा कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :  
नहीं । मैं इसे सेलेक्ट कमेटी को क्यों  
रेफर करना चाहता था, उसके पीछे एक  
कारण है और वह कारण यह है कि इस  
संस्कार ने मंडल कमिशन के बारे में  
अने मेनिफेस्टो में कहा है और सिर्फ  
इस पार्टी ने नहीं बल्कि इस पार्टी से जुड़ी  
हुई विपक्षी भी पार्टी हैं, उन्होंने कहा  
है—मंडल कमिशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट  
करेंगे । महीदया, इन्होंने आते ही एक  
कनटा भी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष  
इस देश के उप-प्रधानमंत्री देवी लाल जी  
बनाए गए । देवी लाल जी ने दस दिन  
के अंदर ही इस्तीफा दे दिया । वह कमेटी  
चली नहीं । हर बार यह कहते हैं, अभी  
भो, मद्रास में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि  
मंडल कमिशन की रिपोर्ट हम एक हफ्ते  
में लागू करवा देंगे । अब यह कह रहे हैं  
कि अभी तक ब्रेकवर्ड कम्युनिटी को  
आइडेंटिफाई नहीं किया है । इसलिए मैं  
इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर रहा था  
कि मंडल कमिशन और माइनोरिटीज दोनों  
पर विचार करके आपका यह विधेयक  
इस सदन में आए । मैं चाहता हूँ  
कि जॉयंटली यह नेशनल कमिशन ऑफ़  
नेग्रिड क्वार्टर्स, गैरकाल्ड ट्राइबल, बंकरड  
कम्युनिटी और माइनोरिटीज का हो और  
उस प्रश्न के अंदर, जिनका हम हर जगह  
पॉलिटिकल बेंनिफिट लेते हैं, सबका लाया  
जाए । इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी में  
ले जाया जाए और जो मैंने सुबह सेलेक्ट  
कमेटी के मंत्रियों के नाम लिए थे, उनको  
उसमें रखा जाए ताकि उस सेलेक्ट कमेटी  
में इस पर पूरा विचार किया जाए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall first  
put the amendment of Shri S. S. Ahluwalia  
for reference of the Constitution (Sixty eighth  
Amendment) Bill, 1990 to a Select  
Committee, to vote.

*The amendment was negatived.*

THE DEPUTY CHAIRMAN; I shall now  
put the amendment of Shri V. Narayanasamy  
for reference of the Constitution (Sixty-eighth  
Amendment) Bill, 1990 to a Select Commit-  
tee of the Rajya Sabha to vote. Are you  
withdrawing it?

SHRI V. NARAYANASAMY: Since I  
have other amendments, I may be permitted to  
speak on those amendments. I withdraw  
this amendment.

*The amendment was, by leave, with-  
drawn.*

SHRI V. NARAYANASAMY- First of all  
respect the Member. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN; Order.

I would not like you to disturb. again the  
Chair, please.

I shall now put the Constitution (Sixty-  
eighth Amendment) Bill, 1990  
to vote.

Under Article 368 of the Constitution, the  
Amendment will have to be adopted by a  
majority of the total membership of the House  
and by a majority of not less than two-thirds  
of the Members of the House present and  
voting. The question is;

"That the Bill further to amend the  
Constitution of India, as passed by the Lok  
Sabha, be taken into consideration."

*The House divided.* THE DEPUTY  
CHAIRMAN; Ayes.. 192 Noes.. nil

## Ayes—192

Afzal, Shri Mohammad  
 Agarwal, Shri Lakshiram  
 Agarwal, Shri Ramdas  
 Ahluwalia, Shri S. S.  
 Alia, Kumari  
 Alva, Shrimati Margaret  
 Amin, Shri Mohammed  
 Amla, Shri Tirath Ram  
 Amrita Pritam, Shrimati  
 Ansari, Shri Mohammed Amin  
 Ashwani Kumar, Shri  
 Azad, Shri Ghulam Nabi  
 Azmi, Maulana Obaidullah Khan  
  
 Baby, Shri M. A.  
 Bagrodia, Shri Santosh  
 Bakht, Shri Sikander  
 Balanandan, Shri E.  
 Balaram Shri N. E. Barongpa, Shri Sushil  
 Basumatary, Shri Amritlal  
 Basu Ray, Shri Sunil  
 Bekal Utsahi, Shri  
 Beniwal, Shrimati Vidya  
 Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant  
 Bhardwaj, Shri Hansraj  
 Bhatia, Shri Madan  
 Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanki  
 Bhattacharjee, Prof. Sourendra  
 Biswas, Shri Debabrata  
 Buragohain, Shri Bhadreswar  
  
 Chakravarty, Shrimati Bijoya  
 Chanpuria, Shri Shivprasad  
 Chaudhary Harmohan Singh  
 Chaudhuri, Shri Tridib  
 Chavan, Shri S. B.  
 Chowdhary Ram Sewak  
 Chowdhry Hari Singh  
 Chowdhury, Shrimati Renuka  
  
 Das, Shrimati Mira  
 Dave, Shri Anantray Devshanker

Deepak, Shri Krishan Kumar  
 Desai, Shri Jagesh  
 Dhawan, Shri R. K.  
  
 Faguni Ram, Dr.  
 Fernandes, Shri John  
 F. Fotedar, Shri Makhan Lal  
  
 Gaj Singh, Shri  
 Gandhi, Shri Raj Mohan  
 Ganesan, Shri R. alias Misa P.  
     Ganesan Gautam, Shri Sangh Priya  
 Ghosh, Shri Dipen  
 Gopalsamy, Shri V.  
 Goswami, Shri Dinesh  
 Goswami, Shri Ramnarayan  
 Gurupadasamy, Shri M. S.  
  
 Hanspal, Shri Harvendra Singh.  
 Hanumanthappa, Shri H.  
 Hariprasad, Shri B. K.  
 Hashmi, Shri Shamim  
  
 Jacob, Shri M. M.  
 Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao  
 Jagmohan, Shri  
 Jain, Dr. Jinendra Kumar  
 Jaiswal, Shri Anant Ram  
 Jani, Shri Jagadish  
 Javali, Shri J. P.  
 Jogi, Shri Ajit P.' K.  
  
 Kailashpati, Shrimati  
 Kakodkar, Shri Purushottam  
 Kalita, Shri Bhubaneswar  
 Kalmadi, Shri Suresh  
 Kalvala, Shri Prabhakar Rao  
 Kar, Shri Narayan  
 Kenia, Kumari Chandrika Premji  
 Kesri, Shri Sitaram  
 Khan, Dr. Abrar Ahmed  
 Khaparde, Miss Saroj  
 Kiruttinan Shri Pasumpon Tha,

Kore, Shri Prabhakar a.  
Kotaiah Pragada, Shri  
Krishnan, Shri G. Y.  
Kunjachen, Shri P. K.,

Lather, Shri Mohinder Singh  
Ledger, Shri David  
Lenka, Shri Kahnu Charan  
Lotha, Shri Khyomo

Madhavan, Shri S.  
Madni, Shri Maulana Asad  
Mahajan, Shri Pramod  
Mahendra Prasad, Shri  
Maheshwari. Shrimati Sarala  
Maheswarappa. Shri K. G.  
Malaviya, Shri Radhakishan  
Malaviya, Shri Satya Prakash  
Maran, Shri Murasoli  
Masodkar, Shri Bhaskar Annaji  
Mathur, Shri Jagdish Prasad  
Md. Salim, Shri  
Mehta, Shri Chimanbhai  
Menon, Prof. M. G. K.  
Mishra, Shri Shiv Pratap  
Mohammad Yunus, Shri  
Mohanty, Shri Sarada  
Mbhapatra. Shri Basudeb  
Morarka, Shri Kamal  
Mukherjee. Shri Samar

Naik, Shri G. Swamy  
Naik, Shri R. S.  
Nallasivan. Shri A  
Narayahasamy. Shri V.

Pachouri, Shri Suresh  
Padmanabham, Shri Mentay  
Palaniyandi. Shri M.  
Pande, Shri Bishambhar Nath  
Pandey, Shrimati Manorama  
Pandey, Dr. Ratnakar  
Panwar, Shri B. L.  
Parmar, Shri Rajubhai A.

Paswan, Shri Kameshwar  
Patel, Shri Chhotubhai  
Patel, Shri Vithalbhai M.  
Patil, Shrimati Suryakahta  
Patil, Shri Vishwasrao Ramrao  
Puglia, Shri Naresh C.

Rafique Alam, Shri  
Rahman, Shri Mohd. Khaleelur  
Rai, Shri Ratna Bahadur

Raja Ramanna, Dr.  
Raju, Shri J. S.  
Ramachandran, Shri S. K. T.  
Rao, Shri Moturu Hanumantha  
Ratan Kumari, Shrimati  
Rathwa, Shri Ramsinh  
Reddy, Dr. G. Vijaya iMohan  
Reddy, Dr. Narreddy Thulasi  
Reddy, Shri S. Jaipal  
Reddy, Shri T. Chandrasekhar  
Sahay, Shri Dayanand  
Sahu, Shri Rajni Ranjan  
Sahu, Shri Santosh Kumar  
Saikia, Dr. Nagen  
Salve, Shri N. K. P.  
Sarnantaray, Shri Pravat Kumar  
Sanadi, Prof. I. G.  
Saqhy, Shri T. A. Mohammed  
Sarang, Shri Kailash Narain  
Satya Bahin, Shrimati

Sen, Shri Ashis  
Sen, Shri Sukomal  
Shah, Shri Viren J.  
Sharma, Shri Chandan I

Sharma, Shri Krishan Lal  
Sharma, Shri Satish Kumar  
Shiv Shanker. Shri P.  
Siddiqui, Shri Abdul Samad  
Singh, Shri Digvijay  
Singh, Shri K. N.  
Singh, Shrimati Pratibha  
Singh, shri Ram Awadhesh Singh,  
Shri Shankar Dayal

Singh, Shri Surender  
Singh, Shri Vishvjit P.  
Sinha, Shrimati Kamla  
Sivaji, Dr. Yelamanchili  
Solanki, Shri Gopalsinh G.  
Solanki, Shri Madhavsingh  
Som Pal, Shri  
Sreedharan, Shri Arangil  
Sushma Swaraj, Shrimati

Swell, Shri G. G.  
Talari Manohar, Shri  
Thakur, Prof. Chandresh P.  
Thakur, Shri Rameshwar  
Thakur, Shri Surendra Singh  
Tharadevi, Shrimati D. K.  
Tiria, Kumari Sushila  
Topden, Shri Karma  
Trivedi, Shri Dineshbhai  
Tyagi, Shri Shanti

Upendra, Shri Parvathaneni

Vajpayee, Shri Atal Bihari  
Veerappan, Shri K. K.  
Venkatraman, Shri Tindivanam G.  
Verma, Shri Ashok Nath  
Verma, Shri Kapil  
Verma, Shrimati Veena  
Verma, Shri Virendra  
Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri Ish Dutt  
Yadav, Shri Ram Naresh  
Yadav, Shri Ranjan Prasad  
Yonggam, Shri Nyodek

Noes—NIL

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill,

Clause 2; Amendment of article 338.

SHRI S. S. AHLUWALIA; I move:

"That at page 1 and 2 after the words "Scheduled Tribes" wherever they occur, the words "and Back-ward and

**उपसभापति: अहलुवालिया जी बोलिए जरा संक्षेप में बोलिएगा।**

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया:** महोदया, यह विधेयक जो शैड्यूल कास्ट एंड शैड्यूल ट्राइब्स के नाम से लाया गया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ पर सरकार की नीयत में जो थोड़ा गड़बड़ी है व मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह यह है कि आर्टिकल 338 के तहत जो इस विधेयक में संशोधन लाया जा रहा है, उसके क्लॉज (3) में किलयरली यह लिखा हुआ है कि:—

Minority Communities" be inserted."

*The question was proposed.*

"In this article, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian community."

महोदया, आर्टिकल 340 के क्लॉज (1) के तहत मंडल कमिशन का नियुक्ति के बारे में कहा गया है। मंडल कमिशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है तो भारतवर्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन सब ने ही अपने-अपने मनीफेस्टो में कहा है कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अभी तक जो बात मंत्री महोदय कह रहे थे, उनमें इस मुद्दे की जनता के साथ और शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइब्स के साथ एक फ्रॉड खेला जा रहा था।



महोदया, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की अर्न्तःक्रांस्टिगएँसी में जो घटनाएं घट रही हैं वह बड़े अर्न्तःक्रांस्टिगएँसी हैं और अगर इनकी नीयत साफ होती तो जो स्पेशल कोर्ट इन्होंने खोला है, वह स्पेशल कोर्ट ये पहले फतहपुर जिले में खोलते। दुख इस बात का है कि जिस दिन ये फतहपुर गए और वहाँ से आकर इन्होंने यह कहा कि सौममती के साथ कुछ नहीं हुआ है और पत्रकारों ने उसको गलत रूप में पेश किया है। यह कि सौममती के साथ रेप हुआ और उसको ज़िंदा जला दिया गया। वहाँ वह खुद नहीं गए और कुछ लोगों को टेलीविजन के सामने खड़ा करके उनके बड़े बयान पेश किए। महोदया, वहाँ से वापस आते ही 19 तारीख को उनके मंडराव गांव में बाना बिषदकी के एरिया में फलटूरास नामक हरिजन की हत्या की गई। उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। उसके 18 टुकड़े करके रास्ते में फेंक दिया गया। और तीन दिन तक उसकी लाश उठाने कोई नहीं आया और उसको मारने वाला नरपत सिंह जो कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का पोलिंग एजेंट था। वहाँ क्यों नहीं और आज तक उसकी एफ०आई० आर० रिपोर्ट कोई नहीं लिख रहा है? थाने में कोई तैयार नहीं एफ०आई०आर० रिपोर्ट लिखने को। महोदया मैं आपके माध्यम से महोदया से कहना कि थानों में इस पर कार्यवाही करवाये और जरा पूछें कि यह क्या घटना घटी है। महोदया बात वहीं खत्म हो जाती ता दूसरी बात होती। 27 तारीख को हैबत पुर में हुसैन गंज थाने में नरेश और गुड्डो गुड्डो पर वहाँ के सर्वण जाति के लोगों ने हमला किया और उसको एक चौपाल में ले गये उसको रेप करने के लिये। जब वह चिल्लायी तो उसका आधमो नरेश उसको बचाने के लिये आया तो उसको वहाँ के सर्वण जाति के लोगों ने गोली मार दी। महोदया अगर इतनी ही नीयत साफ है तो स्पेशल कोर्ट फतहपुर में क्यों नहीं बैठायी गयी? स्पेशल कोर्ट फतहपुर के इन हरिजनों की सहायता करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बैठायी गयी? अगर इतनी ही साफ है तो वहाँ के वीकर सैकशंस के अधिकारों को बचाने के लिये फतहपुर को एरिया क्यों नहीं

डिक्लियर किया? सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं डिक्लियर किया? अगर नीयत इतनी ही साफ है तो महोदया जो..... (व्यवधान)

SHRI V. GOPALSAMY; Chandra Swamy is doing this in Fatehpur only to bring a bad name to Mr. V.P. Singh.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: As you did earlier. (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: No cross-talk please.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आर्टिकल 338 जब से यह संविधान बना है उसके संशोधन नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ। किंतु आज पहली बार उसके तहत संशोधन हो रहा है तो मंडल कमिशन की रिपोर्ट की रिकमंडेशंस के तहत इसके बैकवर्ड कम्युनिटीज को भी जोड़ा जा सकता था, जिसको नहीं जोड़ा गया, और जान बूझकर नहीं जोड़ा गया। क्यों नहीं जोड़ा गया। क्योंकि इनको खतरा है अपने उप-प्रधान मंत्री से जिन्होंने गोपन चेलेंज किया है राम विलास पासवान जी को और कहा है कि मंडल कमिशन की रिपोर्ट में और बैकवर्ड की लिस्ट में जब तक जाटों का नाम बैकवर्ड लिस्ट में नहीं चढ़ता तब तक अगर मंडल कमिशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया गया तो वह सरकार का गिरा देंगे। इस डर से आज तक यह हिम्मत नहीं कर सके। महोदया, यह बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ-साथ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : और आपने क्यों नहीं कर दिया था.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप अपनी बात करो। आप अपनी नीयत को इहाई देते रहो.... (व्यवधान) महोदया, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल-338 के क्लॉज-3 में लास्ट वर्ड एंग्लो इंडियन आता है। जिस वक्त यह संविधान बना था उस वक्त हमारे

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

संविधान के तहत सिर्फ़ एंग्लो इंडियन को ही मायनोरिटी कम्युनिटीज में आइडेंटिफ़ाई किया जाता था और उस वक्त मुसलमानों को या सिखों को या जैनियों को या बुद्धिष्ठों को मायनोरिटी कम्युनिटी में नहीं गिना जाता था, सिर्फ़ एंग्लो इंडियन को गिना जाता था और सिर्फ़ इसीलिए इसमें पूरी विंताज में मायनोरिटी कम्युनिटी के हिसाब से एंग्लो इंडियन को लगाया गया था और अब यह नीयत क्यों खराब हुई ? इनको डर है की०जे०पी० से जो इनकी एक बीताखी है और जिसने अपने मैनिफ़ेस्टो में कलीधरली कहा है कि :

"The B.J.P. will widen the scope of present Minorities Commission and convert it into Human Rights Commission to take care of the just rights of all individuals, groups and communities, not for minority communities "

यह मायनोरिटी कम्युनिटी का एक नया इंटरप्रीटेशन उन्होंने किया है और मायनोरिटी कम्युनिटीज को यह हटाना चाहते हैं और उनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं। महीदया, इस आर्टिकल-338 के तहत यह अगर चाहते, अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो आज इन विधेयक के साथ यह बैकवार्ड कम्युनिटीज को भी लाते और मायनोरिटी कम्युनिटीज को भी लाते। आज किसी भी मुसलमान से, और किसी भी सिख से, किसी भी मायनोरिटी कम्युनिटी के सदस्य ने पूछो छाती पर हाथ धरकर कि सब अधिकार चाहता है या नहीं चाहता है, संविधान के तहत चाहता है या नहीं चाहता है। वह चाहता है, पर इनकी नीयत साफ़ नहीं और यह नीयत साफ़ न होने का कारण बार-बार महात्मा गांधी को भुलाकर, विनोबा भावे को भुलाकर, जयप्रकाश नारायण को भुलाकर यह बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर के चला रहे हैं इस मुल्क के लोगों को और कांग्रेस पार्टी को। महीदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री महीदय को बताना चाहता हूँ कि यह बाबा साहेब अम्बेडकर और यह कांग्रेस पार्टी की कृपा से आज यहां पर मंत्री हैं

और यह संसद सदस्य बनकर अहमद खान कास्ट कंस्टीट्यूएन्सी से इलेक्ट होकर आये हैं। यह अहमद खान कास्ट कंस्टीट्यूएन्सी से इलेक्ट होकर आये हैं। आप हमसे कहिये कि यह जनरल कंस्टीट्यूएन्सी से इलेक्ट हो कर आये। कांग्रेस पार्टी में ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने डिजिटलमिशन एक्ट पास किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह नियम बनाया था, यह ठांचा बनाया था। (व्यवधान) डा० अम्बेडकर को कंस्टीट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बनाने वाला कौन था ? पार्लियामेंट के परिसर के अंदर 10 टन की प्रतिमा डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की लगायी गयी है वह क्या राम विलास पासवान ने लगायी है ? (व्यवधान)

उपसभापति : हो गया है, बंद जाइये।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : मैं खत्म कर रहा हूँ। इस सरकार के आने के बाद इन्होंने समूह हाल में जो बाबा साहेब की तस्वीर लगी है उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं इज्जत करता हूँ बाबा साहेब की। दुख उस वक्त होता है जिस वक्त संसद समाचार टी०वी० पर देखता हूँ। उस समय जब संसद को दिखाया जाता है तो बाबा साहेब की तस्वीर दिखानी क्यों बंद कर दिया है। धिक्कार है इनको। (व्यवधान) बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाना क्यों बंद कर दिया। (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI: You have stopped it. I charge you.

SHRI V. GOPALSAMY: Why did the Congress fail to unveil the portrait? Why did you fail?

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am talking about the television. You will not understand my point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, your speech is not of a general kind. You are speaking on your amendment only. Please take your seat. I am putting the amendment to vote. (Interruption). Please sit down. You cannot make a speech,

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :  
आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ  
इस सरकार से कि वह अपनी नीयत में  
सुधार लाये... (व्यवधान)

उपसभापति : आप खत्म करिये ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :  
मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूँ  
इस सरकार से कि जो उनकी नीयत बुरी  
है उसमें वह सुधार लायेंगे । जल्दी से  
जल्दी बैकवर्ड कमिशन के लिए इसी तरह  
से कंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन लेते हुए एक  
विधेयक लायेंगे । माइनोरिटी कमिशन भी  
संविधान के तहत बनायेंगे । यह मैं आपके  
माध्यम से उनसे एक्स्प्रेस लेता हूँ और  
समझता हूँ यह नौजवान साथी राम विलास  
पासवान ऐसा क्रांतिकारी कदम उठायेगा ।  
इसलिए मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता  
हूँ ।

संशोधन संख्या-1, अनुमति से, वापस  
ले लिया गया ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr.  
Narayanasamy, you have also moved  
amendments I will allow you to speak only on  
one amendment. Either you speak...  
{Interruptions}.

SHRI V. NARAYANASAMY: I have a  
right to speak on each and every amendment

THE DEPUTY CHAIRMAN: You make a  
short speech.

SHRI V. NARAYANASAMY: I do not  
want to give up my right.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Keep quiet.  
Don't start the confrontation again. You have  
got two amendments. One is ...  
(Interruptions')

SHRI V. NARAYANASAMY: I would  
like to speak on each and every amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a  
minute. Why are you in such a hurry? I think  
you are in a hurry to speak also.

SHRI V. NARAYANASAMY: Ma-dam,  
you were telling that you would allow me to  
speak only on one amendment. I have a right  
to speak on all amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not  
saying 'no' to you. Are you going to speak on  
both of them?

SHRI V. NARAYANASAMY: That is  
what I am saying.

THE DEPUTY CHAIRMAN: O. K. Go  
ahead Speak, here for the whole night, I am  
not bothered. Delay it as much as you want. If  
you want to be here till 12 o'clock, please go  
ahead and speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam. I  
move:

"That at page 1 in para (2) for the words

five other members' the words "eight  
other members' be substituted."

3. "That at page 2, after item (b) the  
following be inserted, namely:—

(bbb) to take action in appropriate  
cases on the violation of safeguards  
provided to Scheduled Castes and  
Scheduled Tribes under the Constitution  
or under any other law for the time being  
in force or under any order of the  
Government.'

(bbbb) to punish the persons if  
proved, who involved in the violation of  
safeguards provided to the Scheduled  
Castes and Scheduled Tribes under the  
above-said provision for a period of three  
years and more."

*The questions were proposed.*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam  
Deputy Chairman, if this Constitution (Sixty-  
Eighth) Amendment BUI, 1990 is brought to  
this House as Ramdban Bill, 1990, it  
would have

[Shri V. Narayanasamy] been more appropriate because this Government could not accommodate him in the Cabinet and they could not give him any other rightful position in, the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please do not mention the name of a Member of the other House. I request you not to do that.

SHRI V- NARAYANASAMY: He is a Member of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It does not matter. Please do not mention the name of a Member of the other House. Please talk about your amendment.

SHRI V. NARAYANASAMY: *I am* not referring to him as a Member of the other House. I am referring to him only in his capacity as the Chairman of the Commission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Refer to him that way.

SHRI V. NARAYANASAMY: I did not say that he is from Lok Sabha. Why do you say that?

THE DEPUTY CHAIRMAN: As the Chairman of the Commission, he cannot become a Minister. Only as a Member of Parliament, he can become a Minister. I do not want you to refer to that. You refer to him as the Chairman. But don't bring him in as a Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, if you go through the Bill, you will see that this is only recommendatory in nature. The powers given to the Commission are only recommendatory in nature and not mandatory. Now we want that more powers should be given to the Chairman. Our aim is to see that the authorities have the powers to punish a person and not simply make a recommendation to the Government. Even after the reports are laid on the Table, no action is taken by the authorities concerned whether it is the Central Government or the State Government. The Minister

is now canvassing for the cause, of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but I would like to know from him whether he agrees for giving more powers to the Commission. Secondly, Madam, I wanted that this should be reclassified as the Scheduled Castes, Schedule Tribes, Backward Classes and Minorities Commission. The reason is that though the Mandal Commission had submitted its report, no action has yet been taken on its recommendations. And thereafter when the Minister, Shri Ram Vilas Paswan went to Madras, he had a discussion with the Chief Minister of Tamil Nadu there and afterwards in a press conference about fifteen days back, he said that this Government would come out clearly, about its decision on the Mandal Commission's report. Now more than fifteen days have elapsed; the reaction of this Government on the Mandal Commission's report is not known till date. Madam, Shri Ram Vilas Paswan, the hon. Minister gave a press-release. The people of this country have been eagerly waiting to know whether this Government will fully implement the Mandal Commission's report or not. In spite of the announcement made by him, he has not taken any steps to implement it. Then thirdly, Madam, about the minorities Under article 338, there is a provision for safeguarding the interests of the minorities also, but the present Minorities Commission has not been given a statutory status. They have been demanding it for a long time. But the BJP in their manifesto and also the BJP President have been telling that the Minorities Commission should not be given a statutory status. And Apart from that, he went to the extent of saying, and I will quote:

"Mr. Advani recalled that he made a suggestion to the National Integration Council that that the Minorities Commission has been meant for minorities or Scheduled Castes is misleading and encourages divisiveness."

(68th Amdt)

Madam, such a statement by the President of the BJP that if a statutory status is given to the Minorities Commission and also Scheduled Castes Commission, it will create a division among the communities has created a wrong impression in the minds of the people. I do not know if the statutory status is given to the Commission, how it will create a division in this country. Therefore, Madam, I want that the interests of the three communities who are Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes including minorities should be safeguarded and I also want that the Bill is to be reclassified as a Bill for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities Commission. The Minister says that he will come forward with another Bill for the backward classes and to protect the interests of the minorities,

He has said about the Mandal Commission's report that he would come with another Bill. Madam, with these observations, I withdraw the amendment. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, you are withdrawing your amendment?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam.

(2) The amendment (No. 2) was, by leave withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are speaking on the other amendment?

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, Madam. I have withdrawn my second amendment and I am pressing my third amendment. I want that the Commission which has not been given mandatory powers should be vested with mandatory powers. Therefore, I am pressing my amendment. But I am pressing only the first part of my amendment.

**उपसभापति :** आप मान रहे हैं इनके अमेंटमेंट को ?

**श्री रामविलास पासवान :** मैं सिर्फ अर्डर कर रहा हूँ। मेरा माननीय सदस्य

से सिर्फ इतना ही आग्रह है कि और जैसा कि मैंने कहा कमीशन कमीशन होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसमें इनका इंटेंशन बुरा नहीं है और न सुझाव बुरा है। इतना इतना कहना है तथा और माननीय सदस्यों का यही है कि कमीशन जो रेकमंडेशन करेगा तो क्या वह बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा। यह बाइंडिंग के संबंध में है। मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी कमीशन को आप देखें कि कमीशन को इतने ही अधिकार दिये जाते हैं, पावर दी जाती है, इंटेंशन करने की और एक्जामिन करने की न कि सारी पावर दी जाती है। इसलिये मैं समझ हूँ कि इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। क्लस जब बनाये जायेंगे तो उस समय निश्चित रूप से इस पर चिन्ता करेंगे। (अवधान)..... साव्हे साहब आप भी जानते हैं कि अगर कमीशन रेकमंड भी करेगा और फिर उसको लागू भी करेगा तो मैं समझा हूँ कि यह थोड़ा ठीक नहीं है। आपको भावना से मैं पूर्णरूपेण सहमत हूँ। हम लोग कभी बैठ जायेंगे और इस पर चिन्ता करेंगे कि इसको किस तरह से किया जा सकता है इसलिये माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि वे इसको वापस ले लें।

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want that the Commission should investigate, monitor and also implement. I do not want it to be a paper tiger only. It should have teeth and the Commission should give protection to the Scheduled Caste people. Today, Madam, lakhs of people are enjoying the benefits given to the Scheduled Caste people and they are all benamis. This is a great injustice done to them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

3. "That at page 2, after item (to), the following be inserted, namely:—

'(bbb) to take action in appropriate cases on violation of safeguards provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government.

[The Deputy Chairman]

(bbb) To punish the persons, if proved, who involved in the violation of safeguards provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the above-said provision for a period of three years and more."

*The motion, was negatived.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go to the next amendment. Yes, Mr. Jogi, you move your amendment.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Madam, I beg to move.-

"That at page 2, in item (d), after the words "Scheduled Tribes" the following be inserted, namely:—

"and such recommendations shall be binding on the concerning Union/State Governments or Union territory in as much as the recommendations are not repugnant to the spirit and provisions of the Constitution and therefore, the Government shall be bound to implement it."

*The question was proposed.*

श्री अजीत जोगी : उप सभापति जी, आज चर्चा के दौरान सदन में मैंने इस अधिनियम पर बहुत सी बातें कही थीं। ऐसी आशा थी क्यों कि मंत्री महोदय इन बातों को जायज मान रहे हैं। सही मान रहे हैं। इसलिए उनके विषय में जरूर अधिनियम में प्राधान्य करने के लिये तैयार हो जायेंगे। मंत्री महोदय अभी कह रहे हैं कि हम नियमों में इन बातों को शामिल करेंगे। किन्तु वे यह नहीं कह रहे हैं कि अवश्य ही शामिल कर लिये जायेंगे। उनका यह कहना है कि नियमों में उन्हें शामिल करने के विषय में विचार किया जायेगा। मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मैंने सदन के समक्ष रखी हैं क्योंकि इन सब बातों को मैंने विस्तार से इसके पहले कहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण तो दिया किन्तु जो बातें मैंने

इसके बारे में उठाई थी, उनके विषय में किसी तरह का समाधान नहीं किया। और इसलिए हम मजबूर हैं कि हमने यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उस पर सदन की राय लें। हमारी जैसी आशा थी उसी के बिल्कुल अनुरूप यह जो संशोधन विधेयक 68वां आप लाए हैं वह अत्यंत ही निराशाजनक है। आपने बहुत प्रचार किया, बहुत बातें की, टेलीविजन पर समाचार पत्रों में भी तरह तरह से प्रसारित किया, किन्तु आज जब सदन के समक्ष यह अधिनियम आया है तो बिल्कुल वहीं स्थिति बनी हुई है कि हमने खोदा पहाड़ पर निकली उसमें से चुड़िया। इस अधिनियम के माध्यम से आप राष्ट्र के इन करोड़ों लोगों को कुछ दे नहीं रहे हैं, जो कुछ उनके पास था उसमें किसी बात का इफ्फा नहीं हो रहा है केवल अंतर यह है कि पहले कमिशनर आरु शैड्युल्ड कास्ट्स एंड शैड्युल्ड ट्राइब्स डा० बी०डी० शर्मा बैठे हुए थे, अब आपने एमीशन बना दिया है तो आदरणीय श्री रामधन जी और उनके साथी वहाँ बैठेंगे। आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों की परिस्थिति में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन इस अधिनियम से नहीं होगा। यह हमारी स्पष्ट मांग्यता है। अभी तक इस सदन के सामने रिपोर्ट रखी जाती थी, अब आप विधान सभाओं के सामने रिपोर्टें रख देंगे। 38 रिपोर्टें इस सदन के सामने रखी जा चुकी हैं, उन 38 रिपोर्टों में हजारों अनुसूचित और सिक्कारिज इस सदन के सामने रखी जा चुकी हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस सदन की और दूसरे सदन की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कमेटीयाँ हैं, उनकी सैकड़ों सिक्कारिजें सदन के सामने आई हैं, उन पर कोई अमल नहीं हुआ है। यदि यह अधिनियम इस रूप में जिस रूप में आप लाए हैं उसी रूप में पारित हो जाता है तो इस स्थिति में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप बैसे अधिकार इस कमीशन को नहीं दे रहे हैं जिससे यह कमीशन सक्षम हो

आर इन कराड़ा लाग को किसी तरह की राहत दे सके । साथ यह कह रहे हैं कि दूसरे जो कमीशन बनते हैं उनमें कभी इस तरह के अधिकार नहीं देते । दूसरे कमीशन जिनके लिए बनते हैं और जिनके लिए यह कमीशन बना है उसकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं । यह उन लोगों का सवाल नहीं है जिनके पास सब कुछ है । यह उन 41 लाख लोगों का सवाल है जो आज भी अपने तिर पर खड़ा हो रहे हैं । यह उन 41 लाख से ज्यादा लोगों का सवाल है जिन पर आप की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष एट्रोसिटीज होती है । यह उन लोगों का सवाल है, यह बस्तर के उन आदिवासियों और गिरिजनों का सवाल है जिनमें आज भी शिक्षा का प्रतिशत 5 से अधिक नहीं है... (स्वबोधन) तो आपको इस संशोधन विधेयक द्वारा कमीशन को अधिक अधिकार देने होंगे इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि जो भी अनुशस्य, जो भी सिफारिशें यह कमीशन करेगा केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों या संबंधित यूनियन टेरीटरीज, इन तीनों से संबंधित अधिकारियों के विवेकानकारक होगी और उन पर इनको पालन करना ही होगा । मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि यदि वास्तव में चाहते हैं कि इन वर्गों का भला हो यदि वास्तव में चाहते हैं कि इस कमीशन के माध्यम से इन करोड़ों लोगों को कोई राहत मिले तो हमें यह अधिकार उसको देना चाहिये । यूपया मेरे इस संशोधन को अग्रिम पारित करें । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall put Amendment No. 4 to vote.

*Amendment No. 4 was negatived.*

SHRI H. HANUMANTHAPPA:  
Madam, I move—

5. "That at page 2 after item (7) the following be inserted, namely:—

"(f) To recommend for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found guilty of violation of the Presidential directives and will

fully neglected or acted against the safeguards provided for protection, welfare and socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

7. "That at page 2 after (7) the following be inserted, namely:—

"(8) Where any such recommendation for disciplinary action relates to Central Government/ State Governments, public undertakings, cooperatives or other institutions or administrations, such authority should proceed with taking action and report back to the Commission the complidntne."

6. That at page 2 offer para (7) in item (c) for the brackets and figure '(8)' the brackets and figure "(H)" be substituted."

*The question was proposed.*

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, before I speak on my amendments I want to say one sentence about the remarks made by the Minister in his reply. He said if Jawaharlal! & ad been there, he would not have walked out while passing the Bill.

The day before yesterday, our walkout was not on the Bill but for some other reason. Our party did not Watt-out on the voting of the Bill, in pawing the Constitution (Amendment) Bill.

Coming back to this amendment, Madam, the Minister has agreed;

I have noted it. I have taken him to be hundred per cent correct. So this special amendment has been brought to give more powers to the Cornmmis-sion so that it can be effective. . A.. gentleman who is committed to the cause of Scheduled Caistes and Sche-duled Tribes, being the Chairman, lir. Ranadhan will make only such reco-mmendations which can be followed and wlfcli will be within the rules. So my amendment is to recommend

for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found guilty of violating the Presidential directives and wilfully-neglected or acted against the safeguards provided for protection, welfare and socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Minister, while accepting the spirit, says in other Commissions we have not included this provision and so we need not include it in the Act but let it be in the Rules. That is the argument. But my point is that like other Commissions this Commission may also sleep over the matter. If you cannot make a similar law, tomorrow you may also have similar complaints that this Commission also could not do anything because the provisions are not in the Act.

I request the hon. Minister to accept to make it more effective, more meaningful.

If you want to give something.

जैसा उन्होंने कहा कि नीयत साफ़ है। अगर नीयत साफ़ हो, तो थोड़ा सा अधिकार कमिशन को देना चाहिये। चितने पहले सारे कमिशन थे, वह इसलिये काम नहीं कर सके कि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी।

अभी राम विलास पासवान जो निगम पास करवा रहे हैं, उस बाद भी हम लोगों को मौका न आये और राम विलास पासवान जी को हम लोग आगे शिकायत न करें, इसीलिये मैं इस अमेंडमेंट में आ रहा हूँ। इसको वह स्वीकार करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। सेंटिनरी थिअर बाबा साहब का, इतना महत्व हम दे रहे हैं और दूरदर्शन में जो उसको बन्द किया गया है, उसे पालियामेंट न्यूज में, आर रेन्यु कर दिया जाय। इतने साल हर रोज पालियामेंट न्यूज में हम हर रोज बाबा साहब को दिखाते थे और अब उसको सरकार ने बाबा साहब सेंटिनरी में बन्द कर दिया है। यह ठीक नहीं है। आप उसको ठीक करवाइये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing the amendment?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The Minister has stood up to say something.

श्री राम विलास पासवान : हम सिर्फ इतना ही माननीय सदस्य का ध्यान दिला रहे थे कि जो हनुमन्तप्पा ने कहा है, वह 5(डी) में है कि इस कमिशन को पावर रहेगी :

"to make in such reports, recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes "

और उसके बाद यह देखें, तो 8(क) है, उसमें इसमें जो कर्तव्य, काम शक्तियाँ, दी गई हैं, उसमें साफ़ लिखा है कि :

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना, तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कोर्टालिय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति-अध्यपेक्षा करना,

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमिशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

तो यह जो पावर है, यह बहुत बड़ी पावर है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी भावना की बड़ी कद्र करता हूँ। उसमें कहीं कोई हम में और आप में दो बात नहीं है और मैं माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसे वापिस कर लिया है।

उपसभापति : नहीं. वापिस नहीं।

I am putting Amendments No. 5, 7 and 8 to vote.

The amendments (Nos. 9 7 and 8) were negatived.



1990

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment No. 9 by Shri Satya Prakash Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी, आप अमेन्ड-मेंट नं० 9 वापिस ले रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अभी मैं जरा अपनी बात कह लूँ। संविधान के अनुच्छेद 338 में स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान था...

I beg to move:

"That at page 1, in the last line after the words 'hand and seal' the words 'and the Chairperson and Vice-Chairperson shall be given the rank of Cabinet Ministers and other members shall be given the rank of State Minister'."

*The question was proposed.*

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : और अब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग बनाया गया है, इस में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि बाद में संसद चाहे तो कानून बनाएगी और जैसाकि मंत्रीजी ने अभी कहा कि राष्ट्रपति जी नियम भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने एक सुझाव दिया है ---

"Chairperson and Vice-Chairperson shall be given the rank of Cabinet Ministers, and other Members shall be given the rank of State Ministers."

मेरा सुझाव यह है कि जो जन-जाति आयोग बना रहा है, आप उन को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं तो कम-से-कम जो इनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उन की मंत्री स्तर का और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाना चाहिए। मंत्रीजी का शुरू में जो भाषण हुआ, उस में उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि जो बाद में हल बनेंगे,

जो सर्विस कंडीशन होंगी--- उसके हिसाब से इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उन को कैबिनेट मंत्री स्तर

का दर्जा दिया जाएगा। जो उपाध्यक्ष होंगे, उन को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन जो सदस्य हैं उन को कोई भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है।

उपसभापति : आप प्रेश कर रहे हैं या विदड्रा कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मंत्री जी का उत्तर सुन लूँ। मेरा निवेदन है कि जो तीन सदस्य हैं, उन को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : उपसभापति महोदय, मैं ने बतलाया कि दिया नहीं जा रहा है, दे दिया है। जो उसके अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट का, जो उपाध्यक्ष हैं, उन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। जो पांच सदस्य हैं, तो जब उन को कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है तो सदस्यों को भी बिना पावर के नहीं रखा जाएगा। क्या पावर दिया जाएगा, उसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा।

उपसभापति : आप विदड्रा कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं समझता हूँ कि मेरी भावनाओं को मंत्री जी समझ गए हैं।

*Amendment No. 9 was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put clause 2 to vote. The question is-

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The House divided .,*

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes \_\_\_\_\_ 191

Noes .... Nil

## AYES—191

Afzal, Shri Mohammad  
 Agarwal, Shri Lakshiram  
 Agarwal, Shri Ramdas  
 Ahluwalia, Shri S. S.  
 Alia, Kumari  
 Alva, Shrimati Margaret  
 Amin, Shri Mohammed  
 Amla, Shri Tirath Ram  
 Amrita Pritam, Shrimati  
 Ansari, Shri Mohammed  
 Amin Ashwani Kumar, Shri  
 Azad, Shri Ghulam Nabi  
 Azmi, Maulana Obaidullah Khan  
 Baby, Shri M. A.  
 Bagrodi, Shri Santosh  
 Bakht, Shri Sikander  
 Balanandan, Shri E.  
 Balram, Shri N. E.  
 Barongpa, Shri Sushil  
 Basumatary, Shri Amritlai  
 Basu Ray, Shri Sunil  
 Bekal Utsahi, Shri  
 Beniwal, Shrimati Vidya  
 Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant  
 Bhardwaj, Shri Hansraj  
 Bhatia, Shri Madan  
 Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker  
 Bhattacharjee, Prof. Sourendra  
 Biswas, Shri Debabrata  
 Buragohain, Shri  
 Bhadreswar Chakravarty, Shrimati Bijoya  
 Chanpuria, Shri Shivprasad  
 Chaudhary, Harmohan Singh  
 Chaudhuri, Shri Tridib  
 Chavan, Shri S. B.  
 Chowdhary, Ram Sewak  
 Chowdhry, Hari Singh  
 Chowdhury, Shrimati Renuka  
 Das, Shrimati Mira  
 Dave, Shri Anantray Devshanker  
 Deepak, Shri Krishan Kumar  
 Desai, Shri Jagesh  
 Dhawan, Shri R. K.  
 Faguni Ram, Dr.  
 Fernandes, Shri John F.  
 Fotedar, Shri Makhan Lal  
 Gaj Singh, Shri  
 Gandhi, Shri Raj Mohan  
 Ganesan, Shri R, alias Misa R. Ganesan  
 Gautam, Shri Sangh Priya  
 Ghosh, Shri Dipen  
 Gopalsamy, Shri V,  
 Goswami, Shri Dinesh

Goswami, Shri Ramnarayan  
 Gurupadaswamy, Shri IM, S.  
 Hanspal, Shri Harvendra Singh  
 Hanumanthappa, Shri H.  
 Hariprasad, Shri B. K.  
 Hashmi, Shri Shamim  
 Jagmohan, Shri  
 Jacob, Shri M. M.,  
 Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao  
 Jain, Dr. Jinendra Kumar  
 Jaiswal, Shri Anant Ram  
 Jani, Shri Jagadish  
 Javali, Shri J. P.  
 Jogi, Shri Ajit P. K.  
 Kailashpati, Shrimati  
 Kakodkar, Shri Purushottam  
 Kalita, Shri Bhubaneswar  
 Kalmadi, Shri Suresh  
 Kalvala, Shri Prabhakar Rao  
 Kar, Shri Narayan  
 Kenia, Kumari Chandrika Premji  
 Kesri, Shri Sitaram  
 Khan, Dr. Abrar Ahmed  
 Khaparde, Miss Saroj  
 Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha..  
 Kore, Shri Prabhakar B  
 Kotaiah Pragada, Shri  
 Krishnan, Shri G. Y.  
 Kunjachen, Shri P. K.  
 Lather, Shri Mohinder Singh  
 Ledger, Shri David  
 Lenka, Shri Kahnu Charan  
 Lotha, Shri Khyomo  
 Madhavan, Shri S,  
 Madni, Shri Maulana Asad  
 Mahendra Prasad, Shri  
 Maheshwari, Shrimati Sarala .  
 Maheswarappa, Shri K. G.  
 Malaviya, Shri Radhakrishan  
 Malaviya, Shri Satya Prakash  
 Maran, Shri Murasoli  
 Masodkar, Shri Bhaskar Annaji  
 Mathur, Shri Jagdish Prasad  
 Md. Salim, Shri  
 Mehta, Shri Chimanbhai  
 Menon, Prof. M. G. K .  
 (Mishra, Shri Shiv Pratap  
 Mohammad Yunus, Shri

Mohanty, Shri Sarada  
 Mohapatra, Shri Basudeb  
 Morarka, Shri Kamal  
 Mukherjee, Shri Samar  
 Naik, Shri G. Swamy  
 Naik, Shri R. S.  
 Nallasivan, Shri A.  
 Narayanasamy, Shri V.  
 Pachouri, Shri Suresh  
 Padmanabham, Shri Mentay  
 Palaniyandi, Shri M.  
 Pande, Shri Bishambhar Nath  
 Pandey, Shrimati Manorama  
 Pandey, Dr. Ratnakar  
 Panwar, Shri B. L.  
 Parmar, Shri Rajubhai A.  
 Paswan, Shri Kameshwar  
 Patel, Shri Chhotubhai  
 Patel, Shri Vithalbhai M.  
 Patil, Shrimati Suryakanta  
 Patil, Shri Visrtvwasrao Ramrao  
 Pugila, Shri Naresh C.  
 Rafique Alam, Shri  
 Rahman, Shri Mohd. Khaleelur  
 Rai, Shri Ratna Bahadur Raja  
 Ramanna, Dr.  
 Raju, Shri J.S.  
 Ramachandran, Shri S. K. T-  
 Rao, Shri Moturu Hanumantha  
 Ratan Kumari, Shrimati  
 Rathwa, Shri Ramsinh  
 Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan  
 Reddy, Dr. Narreddy Thulasi  
 Reddy, Shri S. Jaipal  
 Reddy, Shri T. Chandrasekhar  
 Sahay, Shri Dayanand  
 Sahu, Shri Rajni Ranjan  
 Sahu, Shri Santosh Kumar  
 Saikia, Dr. Nagen  
 Salve, Shri N. K. P.  
 Sarnantaray, Shri Pravat Kumar  
 Sanadi, Prof. I. G.  
 Saqhy, Shri T. A. Mohammed  
 Sarang, Shri Kailash Narain

Satya Bahin, Shrimati  
 Sen. Shri Ashis  
 Sen, Shri Sukomal  
 Shah, Shri Viren J.  
 Sharma, Shri Chandan  
 Sharma, Shri Krishan Lal  
 Sharma, Shri Satish Kumar  
 Shiv Shanker, Shri P.  
 Siddiqui, Shri Abdul  
 Samad Singh, Shri Digvijay. J  
 Singh, Shri K. N. i  
 Singh, Shrimati Pratibha  
 singh, Shri Ram Awadhesh  
 Singh, Shri Shankar Dayal i  
 Singh, Shri Surender  
 Singh. Shri Vishvjit P.  
 Sinha, Shrimati Kamla  
 Sivaji, Dr. Yelamanchili  
 Solanki, Shri Gopalsinh G.  
 Solanki. Shri Madhavsinh  
 Som Pal, Shri  
 Sreedharan, Shri Arangil  
 Sushma  
 Swaraj, Shrimati Swell, Shri G. G.  
 Talari, Manohar, Shri  
 Thakur. Prof. Chandresh P.  
 Thakur, Shri Rameshwar  
 Thakur, Shri Surendra Singh  
 Tharadevi, Shrimati D. K.  
 Tiria. Kumari Sushila  
 Topden, Shri Karma  
 Trivedi. Shri Dineshbhai  
 Tyagi, Shri Shanti  
 Uoendra, Shri Parvathaneni  
 Vajpayee, Shri Atal Bihari  
 Veerappan, Shri K. K.  
 Venkataraman, Shri Tindivanam S.  
 Verma, Shri Ashok Nath  
 Verma, Shri Kapil i Verma, Shrimati  
 Veena Verma. Shri Virendra  
 Viduthalai Virumbi, Shri S.

Yadav, Shri Ish Dutt  
Yadav, Shri Ram Naresh  
Yadav, Shri Ranjan Prasad  
Yonggum, Shri Nyodek]

[NOES—Nil]

*The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting. Clause, 2 was added to the Bill.* THE DEPUTY

CHAIRMAN: I shall now put clause 1, the Enacting Formula and the Title to vote. The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The House divided,* THE DEPUTY CHAIRMAN;

Ayes ..... 191

Noes..... Nil

[AYES—191

Afzal, Shri Mohammad  
Agarwal, Shri Lakkhiram  
Agarwal, Shri Ramdas  
Ahluwalia, Shri S. S.  
Alia, Kumari  
Alva, Shrimati Margaret  
Amin, Shri Mohammed  
Amla, Shri Tirath Ram  
Amrita Pritam, Shrimati  
Ansari, Shri Mohammed Amin  
Ashwani Kumar, Shri  
Azad, Shri Ghulam Nabi  
Azmi, Maulana Obaidullah Khan  
Baby, Shri M. A.  
Bagrodia, Shri Santosh  
Bakht, Shri Sikander  
Balanandan, Shri E .  
Balaram, Shri N. E.  
Barongpa, Shri Sushil  
Basumatary, Shri Amritlal  
Basu Ray, Shri Sunil  
Bekal Utsahi, Shri  
Beniwal, Shrimati Vidya

Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant  
Bhardwaj, Shri Hansraj  
Bhatia, Shri Madan  
Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker  
Bhattacharjee, Prof. Sourendra  
Biswas, Shri Debabrata  
Buragohain, Shri Bhadreswar  
Chakravarty, Shrimati Bijoya  
Chanpuria, Shri Shivprasad  
Chaudhary, Harmohan Singh  
Chaudhuri, Shri Tridib  
Chavan, Shri S. B.  
Chowdhary, Ram Sewak  
Chowdhry Hari Singh  
Chowdhury, Shrimati Renuka  
Das, Shrimati Mira  
Dave, Shri Anantray Devshanker  
Deepak, Shri Krishan Kumar  
Desai, Shri Jagesh  
Dhawan, Shri R. K.  
Faguni Ram, Dr.  
Fernandes, Shri John F.  
Fotedar, Shri Makhan Lal  
Gaj Singh, Shri  
Gandhi, Shri Raj Mohan  
Ganesan, Shri R. *alias* Misa R. Ganesan  
Gautam, Shri Sangh Priya  
Ghosh, Shri Dipen  
Gopalsamy, Shri V.  
Goswami, Shri Dinesh  
Goswami, Shri Ramnarayan  
Gurupadaswamy, Shri M. S.  
Hanspal, Shri Harvendra Singh  
Hanumanthappa, Shri H.  
Hariprasad, Shri B. K.  
Hashmi, Shri Shamim  
Jacob, Shri M. M.  
Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao  
Jagmohan, Shri  
Jain, Dr. Jinendra Kumar  
Jaiswal, Shri Anant Ram  
Jani, Shri Jagadish  
Javali, Shri J. P.,

Jogi, Shri Ajit P. K.  
 Kailashpati, Shrimati  
 Kakodkar, Shri Purushottam  
 Kalita, Shri Bhubaneswar  
 Kalmadi, Shri Suresh  
 Kalvala, Shri Prabhakar Rao  
 Kar, Shri Narayan Kenia,  
 Kumari Chandrika Premji  
 Kesri, Shri Sitaram  
 Khan, Dr. Abrar Ahmed  
 Khaparde, Miss Saroj  
 Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.  
 Kore, Shri Prabhakar B.  
 Kotaiah Pragada, Shri  
 Krishnan, Shri G. Y.  
 Kunjachen, Shri P. K.  
 Lather, Shri Mohinder Singh  
 Ledger, Shri David  
 Lenka, Shri Kahnu Charan  
 Lotha, Shri Khyomo  
 Madhavan, Shri S.  
 Madni, Shri Maulana Asad  
 Mahendra Prasad, Shri  
 Maheswari, Shrimati Sarala  
 Maheswarappa, Shri K. G.  
 Malaviya, Shri Radhakishan i  
 Malaviya, Shri Satya Prakash  
 Maran, Shri Murasoli  
 Masodkar, Shri Bhaskar Annaji  
 Mathur, Shri Jagdish Prasad  
 Md. Salim, Shri  
 Mehta, Shri Chimanbhai  
 Menon, Prof. M. G. K.  
 Mishra, Shri Shiv Pratap  
 Mohammad Yunus, Shri  
 Mohanty, Shri Sarada  
 Mohapatra, Shri Basudeb  
 Morarka, Shri Kamal  
 Mukherjee, Shri Samar  
 Naik, Shri G. Swamy  
 Naik, Shri R. S.  
 Nallasivan, Shri A.  
 Narayanasamy, Shri V.  
 Pachouri, Shri Suresh

Padmanabham, Shri Mentay  
 Palaniyandi, Shri M.  
 Pande, Shri Bishambhar Nath  
 Pandey, Shrimati Manorama  
 Pandey, Dr. Ratnakar  
 Panwar, Shri B. L.  
 Parmar, Shri Rajubhai A.  
 Paswan, Shri Kameshwar  
 Patel, Shri Chhotubhai  
 Patel, Shri Vithalbhai M.  
 Patil, Shrimati SuryaKanta  
 Patil, Shri Vishwasrao Ramrao  
 Puglia, Shri Naresh C.  
 Rafique Alam, Shri  
 Rahman, Shri Mohd. Khaleelur  
 Rai, Shri Ratna Bahadur  
 Raja Ramanna, Dr.  
 Raju, Shri J. S.  
 Ramachandran, Shri S. K. T.  
 Rao, Shri Moturu Hanumantha  
 Ratan Kumari, Shrimati  
 Rathwa, Shri Rarnsinh  
 Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan  
 Reddy, Dr. Narreddy Thulasi  
 Reddy, Shri S. Jaipal  
 Reddy, Shri T. Chandrasekhar  
 Sahay, Shri Dayanand  
 Sahu, Shri Rajni Ranjan  
 Sahu, Shri Santosh Kumar  
 Saikia, Dr. Nagen  
 Salve, Shri N. K. P.  
 Sarnantaray, Shri Pravat Kumar  
 Sanadi, Prof. I. G.  
 Saqhy, Shri T. A. Mohammed  
 Sarang, Shri Kailash Narain  
 Satya Bahin, Shrimati  
 Sen, Shri Ashis  
 Sen, Shri Sukomal  
 Shah, Shri Viren J.  
 Sharma, Shri Chandan  
 Sharma, Shri Krishan Lal  
 Sharma, Shri Satish Kumar  
 Shiv Shanker, Shri P.  
 Siddiqui, Shri Abdul Samad

Singh, Shri Digvijay  
 Singh, Shri K. N.  
 Singh, Shrimati Pratibha  
 Singh, Shri Ram Awadhesh  
 Singh, Shri Shankar Dayal  
 Singh, Shri Surender  
 Singh, Shri Vishvijit P.  
 Sinha, Shrimati Kamla  
 Sivaji, Dr. Yelamanchili  
 Solanki, Shri Gopalsinh G.  
 Solanki, Shri Madhavsingh  
 Som Pal, Shri  
 Sreedharan, Shri Arangil  
 Sushma Swaraj, Shrimati  
 Swell, Shri G. G.  
 Talari Manohar, Shri  
 Thakur, Prof. Chandresh P.  
 Thakur, Shri Rameshwar  
 Thakur, Shri Surendra Singh  
 Tharadevi, Shrimati D. K.  
 Tiria, Kumari Sushila  
 Topden, Shri Karma  
 Trivedi, Shri Dineshbhai  
 Tyagi, Shri Shanti  
 Upendra, Shri Parvathaneni  
 Vajpayee, Shri Atal Bihari  
 Veerappan, Shri K. K.  
 Venkatraman, Shri Tindivanam G.  
 Verma, Shri Ashok Nath  
 Verma, Shri Kapil  
 Verma, Shrimati Veena  
 Verma, Shri Virendra Viduthalai  
 Virumbi, Shri S.  
 Yadav, Shri Ish Duttt  
 Yadav, Shri Ram Naresh  
 Yadav, Shri Ranjan Prasad  
 Yonggam, Shri Nyodek.

[NOES—Nil]

*The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.*

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

7.00 P.M'.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The House divided.*

THE DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes ..... 191

Noes ..... Nil

[AYES—191]

Afzal. Shri Mohammad  
 Agrawal. Shri Lakkhiram  
 Agarwal, Shri Ramdas  
 Ahluwalia, Shri S. S.  
 Alia, Kumari  
 Alva, Shrimati Margaret  
 Amin, Shri Mohammed  
 Amla, Shri Tirath Ram  
 Amrita Pritam, Shrimati  
 Ansari, Shri Mohammed Amin  
 Ashwani Kumar, Shri  
 Azad. Shri Ghulam Nabi  
 Azmi, Maulana Obaidullah Khan  
 Baby, Shri M. A.  
 Bagrodia, Shri Santosh  
 Bakht. Shri Sikander  
 Balandan, Shri K  
 Balaram, Shri N. E.  
 Barongpa, Shri Sushil  
 Basumatary, Shri Amritlal  
 Basu Ray, Shri Sunil  
 Bekal Utsahi, Shri  
 Beniwal, Shrimati Vidya  
 Bhandare, Shri Murlidhar Chandrakant  
 Bhardwaj, Shri Hansraj  
 Bhatia, Shri Madam  
 Bhatt, Shri Jitendrabhai Labhshanker  
 Bhattacharjee, Prof. Sourendra

Biswas, Shri Debabrata  
 Buragohain, Shri Bhadreswar  
 Chakravarty, Shrimati Bijoya  
 Chanpuria, Shri Shivprasad  
 Chaudhary Harmohan Singh  
 Chaudhuri, Shri Tridib  
 Chavan, Shri S. B.  
 Chowdhary Ram Sewak  
 Chowdhry Hari Singh  
 Chowdhury, Shrimati Renuka  
 Das, Shrimati Mira  
 Dave, Shri Anantray Devshanker  
 Deepak, Shri Krishan Kumar  
 Desai, Shri Jagesh  
 Dhawan, Shri R. K.  
 Faguni Ram, Dr.  
 Fernandes, Shri John F.  
 Fotedar, Shri Makhan Lal  
 Gaj Singh, Shri  
 Gandhi, Shri Raj Mohan  
 Ganesan, Shri R. alias Misa R.  
 Ganesan Gautam, Shri Sangh Priya  
 Ghosh, Shri Dipen  
 Gopalsamy, Shri V.  
 Goswami, Shri Dinesh  
 Goswami, Shri Ramnarayan  
 Gurupadaswamy, Shri M. S.  
 Hanspal, Shri  
 Harvendra Singh  
 Hanumanthappa, Shri H.  
 Hariprasad, Shri B. K.  
 Hashmi, Shri Shamim  
 Jacob, Shri M. M.  
 Jadhav, Shri Vithalrao Madhavrao  
 Jagmohan, Shri  
 Jain, Dr. Jinendra Kumar  
 Jaiswal, Shri Anant Ram  
 Jani, Shri Jagadish  
 Javali, Shri J. P.  
 Jogi, Shri Ajit P. K.  
 Kailashpati, Shrimati  
 Kakodkar, Shri Purushottam  
 Kalita, Shri Bhubaneswar  
 Kalmadi, Shri Suresh

Kalvala, Shri Prabhakar Rao  
 Kar, Shri Naraayn  
 Kenia, Kumari Chandrika Premji  
 Kesri, Shri Sitaram  
 Khan, D-. Abrar Ahmed  
 Khaparde, Miss Saroj  
 Kiruttinan, Shri Pasumpon Tha.  
 Kore, Shri Prabhakar B.  
 Kotaiah Pragada, Shri  
 Krishnan, Shri G. Y.  
 Kunjachen, Shri p. K.  
 Lather, Shri Mohinder Singh  
 Ledger, Shri David  
 Lenka, Shri Kahnu Charan  
 Lotha, Shri Khyomo  
 Madhavan, Shri S.  
 Madni, Shri Maulana Asad  
 Mahendra Prasad, Shri  
 Maheshwari, Shrimati Sarala  
 Maheswarappa, Shri K. G.  
 Malaviya, Shri Radhakishan  
 Malaviya, Shri Satya Prakash  
 Maran, Shri Murali  
 Masodkar, Shri Bhaskar Annaji  
 Mathur, Shri Jagdish Prasad  
 Md. Salim, Shri  
 Mehta, Shri Chimanbhai  
 Menon, Prof. M. G. K.  
 Mishra, Shri Shiv Pratap  
 Mohammad Yunus, Shri  
 Mohanty, Shri Sarada  
 Mohapatra, Shri Basudeb  
 Morarka, Shri Kamal  
 Mukherjee, Shri Samar  
 Naik, Shri G. Swamy  
 Naik, Shri R. S.  
 Nallasivan, Shri A.  
 Narayanasamy, Shri V.  
 Pachouri, Shri Suresh  
 Padmanabham, Shri Mentay  
 Palaniyandi, Shri M.  
 Pande, Shri Bishambhar Nath  
 Pandey, Shrimati Manorama  
 Pandey, Dr. Ratnakar

Parmer, Shri B. L.  
 Parmar, Shri Rajubhai A.  
 Paswan, Shri Kameshwar  
 Patel, Shri Chhotubhai  
 Patel, Shri Vithalbhai M.  
 Patil, Shrimati Suryakanta  
 Patil, Shri Vishwas-rao Ramrao  
 Puglia, Shri Naresh C.  
 Rafique Alam, Shri  
 Rahman, Shri Mohd. Khaleelur  
 Rai, Shri Ratna Bahadur Raja  
 Ramanna, Dr. Raju, Shri J. S.  
 Ramachandran, Shri S. K. T.  
 Rao, Shri Moturu Hanumantha  
 Ratan Kumari, Shrimati  
 Rathwa, Shri Ramsinh  
 Reddy, Dr. G. Vijaya Mohan  
 Reddy, Dr. Narreddy Thulasi  
 Reddy, Shri S. Jaipal  
 Reddy, Shri T. Chandrasekhar I  
 Sahay, Shri Dayanand  
 Sahu, Shri Rajni Ranjan  
 Sahu, Shri Santosh Kumar  
 Saikia, Dr. Nagen  
 Salve, Shri N. K. P.  
 Sarnantaray, Shri Pravat Kumar  
 Sanadi, Prof. I. G.  
 Saqhy, Shri T. A. Mohammed  
 Sarang, Shri Kailash Narain  
 Satya Bahin, Shrimati  
 Sen, Shri Ashis  
 Sen, Shri Sukomal  
 Shah, Shri Viren J.  
 Sharma, Shri Chandan  
 Sharma, Shri Krishan Lal  
 Sharma, Shri Satish Kumar  
 Shiv Shanker, Shri P.  
 Siddiqui, Shri Abdul  
 Samad Singh, Shri Digvijay  
 Singh, Shri K. N.  
 Singh, Shrimati Pratibha  
 Singh, Shri Ram Awadhesh  
 Singh, Shri Shankar Dayal  
 Singh, Shri Surender  
 Singh, Shri Vishvijit P.  
 Sinha, Shrimati Kamla  
 Sivaji, Dr. Yelamanchili

Solanki, Shri Gopalsinh G.  
 Solanki, Shri Madhavsinh  
 Som Pal, Shri  
 Sreedharan, Shri Arangil  
 Sushma Swaraj, Shrimati  
 Swell, Shri G. G.  
 Talari Manohar, Shri  
 Thakur, Prof. Chandresh P.  
 Thakur, Shri Rameshwar  
 Thakur, Shri Surendra Singh  
 Tharadevi, Shrimati D. K.  
 Tiria, Kumari Sushila  
 Topden, Shri Karma  
 Trivedi, Shri Dineshbhai  
 Tyagi, Shri Shanti  
 Upendra, Shri Parvathaneni  
 Vajpayee, Shri Atal Bihari  
 Veerappan, Shri K. K.  
 Venkatraman, Shri Tindivanam G.  
 Verma, Shri Ashok Nath  
 Verma, Shri Kapil  
 Verma, Shrimati Veena  
 Verma, Shri Virendra  
 Viduthalai Virumbi, Shri S.  
 Yadav, Shri Ish Dutt  
 Yadav, Shri Ram Naresh  
 Yadav, Shri Ranjan Prasad Nyodek  
 Yonggam]

[NOES—Nil]

*The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.*

**कुमारी सरोज खापड़ें : मंत्री जी,**  
 बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी ।

**श्री राम बिलास पासवान :** बहुत-  
 बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ।

**कुमारी सरोज खापड़ें :** मंत्री जी,  
 जरा सदन को मुबारकवाद तो दीजिए ।

**श्री राम बिलास पासवान :** मैंने दे  
 दी है । मैंने कहा कि आप सब लोगों  
 को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सर्व-  
 सम्मति से इसे पास कर दिया ।